

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24



एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड



संदर्भ

संदर्भ विवरण

इसरो के सामर्थ्य के पूर्ण उपयोग से भारत में एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी का सृजन कर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की वाणिज्यिक क्षमताओं को उच्चतम सीमाओं तक ले जाना एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व की महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में उभरना।

संकल्प विवरण

हमारा संकल्प विश्व भर में स्थापित भारतीय उद्योगों एवं ग्राहकों को भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की पूर्ण क्षमताओं को पूर्ण रूप से समझने के योग्य बनाना है।

एन्ट्राक्स, अंतरिक्ष क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, भागीदारी/साझेदारी, उद्योगजगत् की बढ़ती सहभागिता एवं अंतरिक्ष-वाणिज्य के लिए मेक इंडिया जैसे अधिमान्य वैश्विक गंतव्य को निम्नप्रकार से मंच प्रदान करने के लिए प्रयासरत है :

- बाज़ार की संभावनाओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी/उत्पादों की पहचान के द्वारा।
- उद्योगजगत् में प्रमुख क्षमता की पहचान के द्वारा।
- वित्तीय लाभ के अर्जन द्वारा।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की पूर्णता द्वारा।
- निजी उद्योगों के साथ वाणिज्यिक एवं तकनीकी सहभागिता की अभिवृद्धि द्वारा।

हम सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाकर और पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों के लिए मूल्य जोड़कर मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



निदेशक-मंडल

कार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक

श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/ निदेशक (वित्त)

अंशकालिक पधाधिकारी/सरकारी नामित निदेशकगण

डॉ. एम. सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव उद्यम नीति और विधि (ई.पी.एल), अ.वि.
श्रीमती जी जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त), अ.वि. (31 मार्च 2024 तक)

इसरो नामित निदेशकगण

श्री शांतनु भाटवडेकर
श्री एम. मोहन

स्वतंत्र निदेशकगण

डॉ. अजीत टी. कलघटगी
श्री कमल बाली

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स. ए. जॉन मोरिस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
नंबर 116/117, 'सुहाश्री'
पहला 'सी' क्रॉस, 5वां ब्लॉक
बनशंकरी तीसरा स्टेज
बंगलूरु 560 085

बैंकर

केनरा बैंक
आरएमवी एक्सटेंशन शाखा
बंगलूरु 560 080

भारतीय स्टेट बैंक
डॉलर कॉलोनी शाखा
बंगलूरु 560 054

पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन परिसर
न्यू बी.ई.एल रोड के निकट
बंगलूरु 560 094



एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CONTENTS

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया	9
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	10
वित्त वर्ष 2022-23 हेतु सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	18
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	26
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'क'	32
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'ख'	36
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'ग'	38
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी	39
तुलनपत्र	41
लाभ तथा हानि लेखा	43
नकद प्रवाह विवरण	44
एकिटी में परिवर्तन के विवरण	46
वित्तीय विवरणी हेतु नोट	47
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में अन्य नोट	89

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणी सहित **बत्तीसवाँ** वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का व्यापार ₹ 9,197.69 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 3,816.10 लाख था। करोपरांत लाभ ₹ 6,287.74 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 4,854.22 लाख था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाती रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्राहक नवोन्नत मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों का आनन्द उठा रहे हैं।

उपग्रह संचार (सैटकॉम) प्रेषानुकर सेवाएँ

भौगोलिक रूप से फैले हुए भारत जैसे देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में उपग्रह संचार व्यवस्था से प्रसारण प्रदान किया जा सकता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के अनोखेपन और लाभ का कोई विकल्प नहीं है। यह निर्णायिक राष्ट्रव्यापी संचार संरचना की अभिवृद्धि और जहाँ भौतिक प्रसारण या अन्य प्रकार का संयोजन संभव नहीं है, के अंतर की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैटकॉम के अनुप्रयोग जैसे दूरदर्शन, डीटीएच, डीएसएनजी, वीसैट दूरभाष सेवाएँ, पश्च वहन, गतिशीलता आदि ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।

कंपनी ने विभिन्न भारतीय उपयोगकर्ताओं को सी बैंड क्षमता पट्टे पर देने के लिए विदेशी उपग्रह प्रचालकों के साथ समझौते किए हैं। इसके अलावा, एन्ट्रिक्स को भारत में अपनी उपग्रह सी बैंड क्षमता का पुनर्विक्रिता बनने के लिए अन्य विदेशी प्रचालकों के साथ बातचीत चल रही है।

आपकी कंपनी ने अंतरिक्ष खंड प्रभार से व्यापार में हुई भारी कमी को देखा है जिस कारण कंपनी के राजस्व और लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ा है। व्यापार अंतरिक्ष खंड प्रभार में कमी की इस प्रवृत्ति के कारण कंपनी के भविष्य के राजस्व और लाभ पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आपकी कंपनी ने सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए अंतरिक्ष आधारित स्वचालित पहचान प्रणाली (ए.आइ.एस) प्रदान करना जारी रखा है। आपकी कंपनी नए सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए भी अंतरिक्ष आधारित ए.आइ.एस के आपूर्ति हेतु प्रयास कर रही है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कंपनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी), प्रमोचन एवं पूर्व कक्ष चरण (एल.ई.ओ. पी) एवं उपग्रह/प्रमोचन संचालन हेतु अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही हैं।

उपग्रह प्रणाली, नौवहन एवं परीक्षण सेवाएँ

आपकी कंपनी, देश में नाविक आधारित उपयोग के लिए नाविक सी+ गगन/जीपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक, नाविक मात्र एसपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक एवं नाविक मात्र निष्क्रिय एंटिना की आपूर्ति कर अपना पहल जारी रखे हुए है।

आपकी कंपनी एक रणनीतिक ग्राहक को परीक्षण सेवाएँ भी प्रदान कर रही है तथा उप-प्रणालियों, उपग्रह प्रणालियों और परीक्षण सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित व्यवसाय विकास के अवसर भी तलाश रही है।

प्रमोचन सेवाएँ एवं अवसंरचना परियोजनाएँ

आपकी कंपनी, अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रहे विनियमन के परिणामस्वरूप विभिन्न भारतीय कंपनियों एवं नवोदित प्रतिष्ठानों के साथ प्रमोचन/उपग्रह उपप्रणाली की आपूर्ति से जुड़े व्यापार विकास की संभावनाएँ तलाश रही है।

आई.आर.एस संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी रिसोर्ससैट-2 उपग्रह से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की पृथ्वी अवलोकन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस) उपग्रह समूह के लिए उपग्रह ऑँकड़ा उत्पादों और अधोकड़ी सेवाओं का विपणन कर रही है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी वैश्विक और भारतीय ग्राहकों को भू-स्थानिक और संबद्ध सेवाएँ और क्षमता निर्माण प्रदान करने के अवसर तलाश रही है।

विशेष प्रयोक्ताओं को वी.एच.आर ऑँकड़े प्रदान करना

आपकी कंपनी, जहाँ घरेलू क्षमता उपलब्ध नहीं है, विदेशी उपग्रह प्रचालकों से सामरिक प्रयोक्ताओं को अति उच्च विभेदन (वी.एच.आर) ऑँकड़े प्रदान करती रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी सामरिक प्रयोक्ताओं की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी ध्यान दे रही है।

दौरान का विनिमय

समीक्षावधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने व्यापारिक परिचर्चा एवं व्यापारिक संभावनाएँ तलाशने हेतु एन्ट्रिक्स का दौरा किया।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.24 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31.03.23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)
कुल आय	17,484.71	11,592.92
कुल व्यय	8,979.05	5,023.21
मूल्यहास एवं कर पश्चात् लाभ	8,505.66	6,569.71
घटाइएः मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	55.47	78.51
घटाइएः कराधान के लिए प्रावधान	2104.16	1,366.89
घटाइएः आस्थगित कर	58.29	270.09
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	6,287.74	4,854.22
अन्य व्यापक आय/(हानि)	(1.58)	1.19
कुल व्यापक आय	6,286.16	4,855.41
पुनर्वियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	6,286.16	2,505.17

लाभांश

आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई) होने के नाते, पूँजी पुनर्रचना हेतु निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम) के पत्रांक 5/2/2016-नीति दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करती है। दिशानिर्देश यह इंगित करते हैं कि प्रत्येक सी.पी.एस.ई अपने करोपरान्त लाभ का कम-से-कम 30% या कुल संपत्ति का 5%, जो भी वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत महत्तम लाभांश हो, वार्षिक लाभांश के तौर पर भुगतान करेगा।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ/5/2/2015-नीति के अनुरूप, आपके निदेशकगण ₹ 680 लाख के प्रदत्त एकिटी शेयर पूँजी पर ₹ 7,380 लाख (पिछले वर्ष ₹ 7,434 लाख) लाभांश के तौर पर दिए जाने की सहर्ष अनुशंसा करते हैं। यह 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुके वर्ष के लिए करोपरान्त लाभ का 117.37% इंगित करता है।

रिजर्व में स्थानांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिजर्व में कोई भी धनराशि अंतरित करने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

आगामी दृष्टिकोण

आपकी कंपनी व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की खोज कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में अंत-से-अंत तक की गतिविधियों को अंजाम देने में गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। आपकी कंपनी अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ विदेशी और भारतीय दोनों व्यवसायियों के साथ संभावित सहयोग के माध्यम से उभरते व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने की उम्मीद करती है ताकि व्यवसाय का विस्तार किया जा सके।

सैटकॉम व्यवसाय क्षेत्र में, टी.वी और डी.एस.एन.जी के लिए सी बैंड क्षमता का प्रावधान एक खुला बाजार है और एन्ट्रिक्स विदेशी सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा है ताकि वे भारत में घरेलू उपयोगकर्ताओं को अपनी सी बैंड क्षमता का विपणन और पुनर्विक्रय कर सकें।

कंपनी ने विदेशी उपग्रह प्रचालकों से विभिन्न घरेलू उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष आधारित ऑकड़े (प्रकाशिक ऑकड़े, सार ऑकड़े, आर.एफ जी.ई.ओ ऑकड़े, ए.आइ.एस ऑकड़े, आदि) की आपूर्ति में अच्छी प्रगति की है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद सैटकॉम और ई.ओ ऑकड़े, क्षेत्र में विभिन्न अवसर उभरने की उम्मीद है और आपकी कंपनी विभिन्न उपयोगकर्ताओं को मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान करने के अवसरों की भी खोज कर रही है।

आपकी कंपनी को आशा है कि निकट भविष्य में ठोस व्यावसायिक अवसर सामने आएँगे और कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम होगी।

निदेशकगण

यह कंपनी, भारत सरकार की है और निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के मंडल में सात (7) निदेशकगण शामिल हैं अर्थात् एक प्रकार्यात्मक निदेशक, दो सरकार द्वारा नामित निदेशकगण, दो गैर-सरकारी अंशकालिक (इसरो नामित) निदेशकगण एवं दो गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण, सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विशद अनुभव वाली नामी हस्तियाँ हैं।

अपनी अधिवर्षिता के परिणामस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से श्रीमती जी जयंती, कंपनी की सरकारी नामित निदेशक के रूप में सेवाएँ नहीं दे पाएँगी।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में, निदेशकमंडल, अपने उत्तम ज्ञान और योग्यता के आधार पर यह पुष्ट करते हैं कि:

- i. वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्काल विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाविधि नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2024 के अंत में कंपनी से संबंधित मामले की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
- iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमिताओं को रोकने और बेर्इमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;
- iv. निदेशकों ने “जारी व्यापार” के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;
- v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त रही हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं।

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी की स्थितिप्रज्ञता

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण और अच्छे कॉर्पोरेट शासन हेतु कंपनी समकालीन माँग के साथ कंपनी के प्रत्येक निर्णय में कॉर्पोरेट शासन के मूल सिद्धांत और दर्शन का अक्षरशः पालन किया जाता है। कंपनी में, मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता और नैतिकता लागू की गई है। वार्षिक आधार पर सभी संबंधित सदस्यों द्वारा संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। मुख्य कार्यकारी द्वारा इस निमित्त की गई घोषणा इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट शासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सी.पी.एस.ई के पुनरीक्षित वर्गीकरण मानक के अनुरूप डी.डी.ई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के मामले में, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 'उत्कृष्ट' श्रेणी मिलने के आसार है।

संबंधित पक्ष अंतरण

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पक्ष अंतरण का प्रकटीकरण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लेखा का हिस्सा बनने वाले नोट्स की नोट संख्या 35 में दिया गया है।

सतर्कता प्रक्रिया

मंडल द्वारा अनुमोदित सूचना प्रदाता नीति अपनाई जा रही है। यह कॉर्पोरेट शासन को सबल बनाने के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे उपायों का हिस्सा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने वित्तीय उपयुक्तता के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की है। हम मानते हैं कि आंतरिक नियंत्रण

एवं जोखिम प्रबंधन शासन-सिद्धांत लागू करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। हमारे पास प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारी सभी परिसंपत्तियाँ नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित हैं।

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए एक बाह्य लेखा परीक्षा प्रतिष्ठान मेसर्स राव एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया गया था। इससे प्रणाली और नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। मंडल द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा समिति द्वारा उनकी रिपोर्ट की आगे समीक्षा की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की भी समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदन-काल के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का उल्लेख नहीं किया है।

मंडल की बैठक की संख्या

विवरण कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में दिया गया है।

मंडल-समिति

कंपनी की नीतियों एवं लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए इसकी विधिवत् गठित मंडल-स्तरीय उप समितियाँ नियमित रूप से बैठकों में विचार-विमर्श करके कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। समिति की बैठकों के विस्तृत विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में संलग्न हैं।

मंडल एवं सामान्य बैठकों में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) की शर्तों के आधार पर, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा वर्णित तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सचिवालयीन मानक 1 और 2 का क्रमशः मंडल की बैठक तथा सामान्य बैठक के लिए लागू करती है।

कंपनी ने, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक 3 को लाभांश के लिए और सचिवालयीन मानक 4 को निदेशक-मंडल की रिपोर्ट के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनाया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी में एक आंतरिक समिति (आई.सी) स्थापित है। कंपनी की आई.सी नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ़ सुरक्षा और ऐसी शिकायतों की रोकथाम और निवारण का प्रावधान करती है।

इस अवधि के दौरान आई.सी की दो बैठकें आयोजित की गईं। अधिनियम के अनुसार वार्षिक विवरणी स्थानीय शिकायत समिति के पास दाखिल की गई। वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान आई.सी के सदस्यों के लिए क्षमता और कौशल निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के अनुसार, कंपनी ने एक सी.एस.आर नीति विकसित की है। सी.एस.आर और एस.डी समिति सी.एस.आर पहल के भाग के रूप में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए समय-समय पर बैठक करती है तथा चल रही परियोजनाओं के कामकाज/प्रगति की निगरानी भी करती है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए, कंपनी ने सी.एस.आर गतिविधियों के लिए 118.21 लाख रुपये का व्यय किया है।

कंपनी की सी.एस.आर संबंधी क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत सी.एस.आर समिति की संरचना शामिल है, **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।

लेखापरीक्षकगण

सांविधिक लेखापरीक्षकगण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पत्र संख्या CA.V/COY/केंद्र सरकार, एन्ट्रिक्स (1)/150 दिनांक 12 सितम्बर, 2023 के माध्यम से मेसर्स ए. जॉन मोरिस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

आंतरिक लेखापरीक्षक: आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स राव एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, बंगलूरु को नियुक्त किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा पर की गई टिप्पणी जैसे ही प्राप्त होती है तो इसे प्रबंधन के उत्तर, यदि कोई हो, सहित इस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा और उसे सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लाभांश, शुल्क और कर के रूप में ₹ 9,529.11 लाख की राशि का योगदान दिया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 9,811.33 लाख थी।

सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

आर.टी.आइ अधिनियम 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में एन्ट्रिक्स ने समीक्षा अवधि के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखा। आपकी कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 53 आर.टी.आइ आवेदनों और 01 अपील के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्रदान करके अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया था। इसके अलावा, आर.टी.आइ आवेदनों/अपीलों की तिमाही रिपोर्ट समय पर केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आइ.सी) को प्रस्तुत की गई थी। नागरिकों तक सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने और कंपनी के दर्शन और कॉर्पोरेट शासन के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी की वेबसाइट पर पूर्वपहल प्रकटीकरण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए सी.आइ.सी द्वारा यथाअधिदेशित आर.टी.आइ अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पूर्वपहल प्रकटीकरण का लेखापरीक्षण संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया था।

कर्मचारियों के विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं, जी.एस.आर 463 (ई) के अनुरूप सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं उसके नियमों से छूट मिली हुई है।

मानव संसाधन विकास एवं आरक्षण

एन्ट्रिक्स में अभी कुल 13 स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। ग्रुप-ए: व्यवसाय खंड-03; ग्रुप-ए: प्रशासन-06; ग्रुप-बी: प्रशासन-02 और ग्रुप-सी: प्रशासन 02] जिसमें वर्ष के दौरान 02 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। कर्मचारियों की इस कुल संख्या में 4 महिला कर्मचारी शामिल हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यक्ति तीन थे।

प्रशिक्षण एवं विकास

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को आवश्यक कौशल प्राप्त

करने तथा प्रतिभा अधिग्रहण और कैरियर प्रगति में उनकी सहायता करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई. एस) से क्रय

कंपनी मुख्य रूप से अंतरिक्ष उद्योग और इसके परियोजना प्रबंधन से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं के व्यावसायीकरण में शामिल है। कंपनी ने सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में TReDS प्लेटफॉर्म, एमएसएमई समाधान और सरकारी ई-मार्केट स्थल (जी.ई.एम) पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय 76.36% रही, जो ₹ 78.16 लाख है।

पुरस्कार/प्रशंसा

आपकी कंपनी को वर्ष 2022-23 के दौरान 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच क्रय श्रेणी के तहत एससी/एसटी एम.एस.ई से सार्वजनिक क्रय में उच्चतम प्रतिशत हासिल करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन नीति

एन्ट्रिक्स के पास मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है तथा एन्ट्रिक्स में विभिन्न प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिमों पर भी जोखिम संचालन समिति और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्गम पर रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी दी जाने वाली सूचना शून्य है, क्योंकि कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है। विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम की रिपोर्ट अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रयोग को लागू कर रही है। कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के लिए भेजा जाता है।

आपकी कंपनी 'सोलिस' (अंतरिक्ष राजभाषा कार्यान्वयन योजना) को लागू कर रही है, जो कर्मियों को अपना अधिकतम सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें कार्यसूची की बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है।

आपकी कंपनी की वेबसाइट वर्तमान में हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध है।

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निधारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आने वाले वर्षों में भी अधिक से अधिक योगदान देने

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्थादों और सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अतीव प्रसन्नता महसूस करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण, वर्ष के दौरान, कंपनी के विक्रेताओं, बैंकरों, सी एवं ए.जी, सांविधिक/अंतरिक लेखापरीक्षकगण, अध्यक्ष-लेखापरीक्षण समिति, मंडल की अन्य उपसमितियों के अध्यक्ष, सलाहकार, परामर्शदाता आदि से निरंतर मिलने वाले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपने हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केंद्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

**कृते निदेशक मंडल एवं
उनकी ओर से**

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
/निदेशक (वित्त)

स्थान : बंगलूरु
तिथि : 21 जून 2024

**31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक)
निम्नानुसार हैं:**

(राशि लाख में)

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम के विवरण			
	यूएसडी	यूरो	समतुल्य राशि ₹ लाख में
विदेशी मुद्रा अर्जन			
निर्यात से	2.65	-	219.17
तकनीकी परामर्शिता से	5.04	-	418.12
कुल	7.69	-	637.30
विदेशी मुद्रा निर्गम			
यात्रा के एवज़ में	-	0.01	1.20
आयात की लागत के एवज़ में	5.41	5.51	948.92
तकनीकी सेवाओं के एवज़ में	24.99	-	2078.89
अन्य सेवाओं (विधिक) के एवज़ में	6.29	2.81	778.67
कुल	36.69	8.33	3807.68

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

क्र.सं.	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन की प्रतिक्रिया
1.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखा पर लेखापरीक्षक की कोई टिप्पणी नहीं है	लागू नहीं

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश संबंधी कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त रिपोर्ट

1.1. कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर अधिक बल देती है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उत्तम कॉर्पोरेट शासन की नीतियाँ एवं व्यवहार वह बुनियाद होते हैं जिन पर कॉर्पोरेट संस्था का निर्माण होता है और इसकी नीतियाँ एवं योजनाएँ कॉर्पोरेट संस्था की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

2. निदेशकमंडल

2.1 मंडल सदस्यों की संरचना एवं विवरणः

2.1.1 एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल के सदस्यगण अच्छा कॉर्पोरेट शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंडल में पर्याप्त संख्या में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक सदस्य शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंडल में एक महिला निदेशक रही है। निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की संरचना निम्नवत हैं:

(क) प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगणः

(i) श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)

(ख) अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी नामित निदेशकगणः

(i) डॉ. एम सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (ई.पी एवं एल), अंतरिक्ष विभाग

(ii) श्रीमती जी. जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग (31.3.2024 तक)

(ग) अंशकालिक गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशकगणः

(i) डॉ. अजीत ठी कलघटगी, पूर्व-निदेशक (आर एवं डी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलूरु

(ii) श्री कमल बाली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वॉल्को ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(घ) अंशकालिक गैर-सरकारी/नामित निदेशकगणः

(i) श्री शांतनु भाटवडेकर, वैज्ञानिक सचिव, इसरो मुख्यालय

(ii) श्री एम. मोहन, निदेशक, एच.एस.एफ.सी, बंगलूरु

2.1.2 कंपनी के वर्तमान संस्था विधान भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान प्रदान करते हैं। नियुक्त निदेशकगण अपने-अपने कार्यक्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियाँ हैं। कंपनी के इन निदेशकों में कोई भी दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं रहे थे या वर्ष के दौरान, सभी सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों की पाँच समितियों के अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं किया है जिनमें वे निदेशक रहे/रही हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी स्वतंत्र निदेशक ने सात से अधिक कंपनी में निदेशक का पदभार ग्रहण नहीं किया।

2.1.3 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है, पहले 5 वर्ष के लिए या अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। उसके बाद सेवा-विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की स्वीकृति से होती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एसीसी द्वारा की जाती है, पहले 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक जो

भी पहले हो। इस निमित्त कोई सेवा-विस्तार या पुनर्नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप होती है।

3. मंडल की बैठक एवं उनमें उपस्थिति:

- 3.1 रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल की चार (4) बार बैठकें हुईं। वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी मंडलीय बैठकों में निदेशकगण की औसत उपस्थिति 82% रही है। इन बैठकों की तिथि और निदेशकगण की उपस्थिति निम्नवत हैं:

क्र.सं.	बैठकों की सं.	बैठकों की तिथि	मंडलीय सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	134	05.07.2023	7	6
2.	135	22.09.2023	7	6
3.	136	14.12.2023	7	6
4.	137	01.03.2024	7	5

अनुलग्नक । (क) में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

- 3.2 मंडल के सभी सदस्यों ने मंडल में उनकी नियुक्ति के समय या नियुक्ति के बाद अपने मालिकाना, साझेदारी या किसी कंपनी में अपने वैयक्तिक, आधिकारिक और अन्य मौद्रिक संबंधों, चाहे वे निजी हों या अपने सगे-संबंधियों से जुड़ी हों, की जानकारी मंडल को दे रखी है। ऐसे प्रकटीकरण की पुनरुक्ति प्रति वर्ष की जाती है। मंडलीय बैठक में किए गए ऐसे प्रकटीकरण निम्नवत प्रस्तुत हैं:

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	संकाय/कॉर्पोरेट जिनसे निदेशक का संबंध है	संबंधों की प्रकृति
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	शून्य	-
2.	श्रीमती जी जयंती	शून्य	-
3.	डॉ. एम. सुब्रमण्यम	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	नामित निदेशक
4.	श्री शांतनु भाटवडेकर	शून्य	-
5.	श्री एम मोहन	शून्य	-
6.	डॉ. अजीत टी. कलघटगी	1. एवेटेल लिमिटेड 2. आइआइटी एनआइएफ (आइआइटी तिरुपति नवविस्कर - आइ हब फाउंडेशन)	स्वतंत्र निदेशक
7.	श्री कमल बाली	1. वोल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		2. वोल्वो फाइनेशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक
		3. भारत में स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉर्मस	अध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्य
		4. जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	निदेशक
		5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), गांधीनगर	शासी मंडल
		6. इन्वेस्ट कर्नाटिक फोरम बोर्ड, कर्नाटिक सरकार	निदेशक
		7. जेवियर एमलियोन ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस	निदेशक

- 3.3 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निदेशकों के मध्य परिचालन के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

4. आम बैठक :

- 4.1 पिछले 3 वर्षों में कंपनी की वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

एजीएम की संखा	वित्तीय वर्ष	बैठकों की तिथि	बैठक का स्थान
29	2020-21	24-09-2021	मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल रोड, बैंगलूरु - 560 094.
30	2021-22	26-09-2022	
31	2022-23	22-09-2023	

अनुलग्नक । (क) में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

- 4.2 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने " डाक मत पत्र " के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

5. मंडलीय समितियाँ, उनकी सीमाएँ एवं उनकी बैठकें:

- 5.1 31 मार्च, 2023 तक एन्ट्रिक्स की चार (4) निम्नलिखित मंडल की समितियाँ हैं:

5.2 लेखापरीक्षण समिति (ए.सी):

- 5.2.1 प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2013 में कंपनी के निदेशकमंडल द्वारा मौलिक लेखापरीक्षण समिति का गठन हुआ। बाद में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप यह कार्य करता रहा है।

- 5.2.2 लेखापरीक्षण समिति, कंपनी अधिनियम, 2013; समय-समय पर यथा संशोधित डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू प्रावधानों में उल्लिखित संदर्भ-शर्तों का अनुपालन करती है।

- 5.2.3 लेखापरीक्षण समिति, फिलहाल, तीन (3) सदस्यों यानी मंडल के दो (02) स्वतंत्र निदेशकों एवं एक (01) नामित निदेशक के साथ काम कर रही है। सांविधिक लेखापरीक्षक और निदेशक (वित्त) बैठक में स्थायी तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। लेखापरीक्षण समिति के सभी सदस्यगण, विशेषकर अध्यक्ष के पास लेखाविधि का अच्छा ज्ञान और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता है। कंपनी की आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षण करने वाली बाहरी लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों के साथ समिति नियमित रूप से संपर्करत रहती है और वित्त संबंधी मामलों का हिसाब-किताब रखती है।

- 5.2.4 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान गठित लेखापरीक्षण समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	श्री कमल बाली	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	डॉ. अजीत टी कलघटगी	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	श्री एम. मोहन	सदस्य	15 फरवरी 2023 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

- 5.2.5 लेखापरीक्षण समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले स्वतंत्र निदेशकों की कार्यवाह संख्या दो (2) है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की बैठक कम-से-कम चार (4) बार आहूत होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच समयांतर 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 5.2.6 लेखापरीक्षण समिति के अध्यक्ष और/या अन्य स्वतंत्र गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक जो लेखापरीक्षण समिति के सदस्य भी हैं को डी.पी.ई के दिशानिर्देश एवं इण्ड ए.एस 24 के अंतर्गत यथा विचारित संबंधित पक्ष अंतरण हेतु पूर्व स्वीकृति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति(यों) के रूप में पदनामित किए गए हैं।
- 5.2.7 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 75% रही है। ऐसी बैठकों की आयोजन तिथि और उनमें उपस्थित निदेशकों/सदस्यों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	23	05.07.2023	3	3
2.	24	12.09.2023	3	2
3.	25	30.11.2023	3	2
4.	26	27.03.2024	3	2

अनुलग्नक । (ख) में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

5.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन.आर.सी):

- 5.3.1 कार्यपालकों और कार्मिकों के लिए परिवर्तनीय वेतन के वितरण हेतु नियम प्रतिपादित कर निर्णय करने के लिए दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को निदेशकमंडल द्वारा मौलिक रूप से इस समिति का गठन किया गया।
- 5.3.2 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान गठित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	डॉ. अजीत टी कलघटगी	सदस्य अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से 15 फरवरी 2023 से
2.	श्री कमल बाली	सदस्य	29 नवम्बर 2019 से
3.	श्री एम. मोहन	सदस्य	15 फरवरी 2023 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

- 5.3.3 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की दो (02) बैठक आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 67% रही है। ऐसी बैठकों की आयोजन तिथि और उनमें उपस्थित निदेशकों/सदस्यों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1	4वीं	12.09.2023	3	2
2	5वीं	07.11.2023	3	2

अनुलग्नक । (ग) में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

5.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति (सी.एस.आर एवं एस.डी):

5.4.1 अप्रैल 2010 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, मंडल द्वारा “कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति” (सी.एस.आर एवं एस.डी) नामक एक समिति का गठन किया गया। एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर नीति के अनुरूप सी.एस.आर. क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं।

5.4.2 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान गठित सी.एस.आर एवं एस.डी समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	डॉ. अजीत टी कलघटगी	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	श्री कमल बाली	सदस्य	15 फरवरी 2023 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.4.3 वर्ष 2023-24 के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत सी.एस.आर एवं एस.डी समिति की चार (04) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान सभी सी.एस.आर बैठकों में निदेशकों की औसत उपस्थिति 67% थी। इन बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1	27	22.06.2023	3	2
2	28	18.08.2023	3	2
3	29	22.12.2023	3	2
4	30	07.03.2024	3	2

अनुलग्नक। (ख) में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

6 निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल ने 22.9.2023 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को संशोधित करते हुए मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) डॉ. अजीत कलघटगी, स्वतंत्र निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष
- (ii) श्रीमती जी जयंती, नामित निदेशक - सदस्य (22.9.2023 से 31.3.2024 तक)
- (iii) श्री एम मोहन, नामित निदेशक - सदस्य
- (iv) श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - सदस्य

वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई। हालाँकि, निदेशक (वित्त)/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में जोखिम संचालन समिति की बैठक 26.3.2024 को आयोजित की गई थी।

7 कंपनी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 30.11.2023 को आयोजित की गई, जिसमें दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

8 निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता एवं नैतिकता

8.1 कॉर्पोरेट शासन से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करते समय अप्रैल, 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा व्यवसाय आचार संहिता और नैतिकता का पुनरीक्षण किया गया। इस संहिता को एन्ट्रिक्स द्वारा अपने निदेशकों और वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के लिए अपनाया गया।

8.2 वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत निदेशकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणाएँ की हैं।

8.3 कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई ऐसे अनुपालन की घोषणा निम्नवत् है:

9 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा:

एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सभी मंडल सदस्यों ने "एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचार संहिता एवं नैतिकता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

10 मंडल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण:

एन्ट्रिक्स के मंडल के सदस्यगण वरिष्ठ कार्यपालक हैं जिनके पास शिक्षा, उद्योग, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशासन के विस्तृत और विविध अनुभव हैं। एन्ट्रिक्स उनकी दूरदर्शिता और उनके ज्ञान से लाभान्वित हुआ है। मंडल में शामिल किए जाने के बाद कंपनी के निष्पादन, व्यवसाय के प्रारूप, कॉर्पोरेट की योजना एवं भविष्य के विष्टिकोण से उन्हें प्रस्तुति के माध्यम से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, मंडल/ समिति/अन्य बैठकों के दौरान व्यवसाय से संबंधित मामलों पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक/पेशेवर व्यक्तियों/सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी जाती है। प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए निदेशकों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने और उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण हेतु एक नीति भी अपनाई है।

11 प्रकटीकरण:

- (i) वर्ष के दौरान, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों या उनके परिजनों के साथ कंपनी के विद्यमान नियमों के अनुरूप वेतन, शुल्क, लागू अधिक लाभ के सिवाय किसी भी प्रकार की सामग्री और विशिष्ट प्रकृति के सामानों की लेन-देन नहीं हुई थी जिस कारण कंपनी के हित के साथ कोई भारी खिलवाड़ हुआ हो या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई हो।
- (ii) कंपनी के लिए लागू होने वाले सभी कॉर्पोरेट कानून, नियम एवं विनियम के अनुपालन से संबंधित स्थिति की रिपोर्ट मंडल के समक्ष सूचना एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है।
- (iii) वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति और आक्षेप नहीं डाले गए थे।

- (iv) एक औपचारिक सूचना प्रदाता नीति लागू की गई है। रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति के सदस्यों या इसके अध्यक्ष के पास जाने से किसी भी कार्मिक को रोका नहीं गया है।
- (v) कंपनी में लागू विद्यमान मान्य नियमों के सिवाय वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो मंडल के किसी सदस्य या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत हो।
- (vi) पिछले वर्ष के 36.73% की तुलना में इस वर्ष के प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय 11.76% रहे हैं। वर्ष के दौरान व्यय में कमी का मुख्य कारण कंपनी के विरुद्ध विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों पर व्यय की जाने वाली विधिक शुल्क में कमी तथा राजस्व की उच्च लागत है।
- (vii) वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो व्यवसाय के लिए नहीं किया गया हो। वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुए हैं जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो।
- (viii) कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू) के संचालन संबंधी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राष्ट्रपति जी के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

12 प्रमाणपत्र:

प्रशासनिक मंत्रालय (अंतरिक्ष विभाग) को प्रत्येक तिमाही में कॉर्पोरेट शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में वास्तविक रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है।

13 संचार:

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने से पहले कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इसकी वेबसाइट: www.antrix.co.in पर प्रस्तुत की जाती है। कंपनी की वेबसाइट पर सभी आधिकारिक सूचनाएँ भी प्रदर्शित की जाती हैं।

14 जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी के मंडल द्वारा स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है जिसकी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

15 लेखापरीक्षण योग्यता:

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन के उत्तर के साथ संलग्न है।

वर्ष के दौरान आयोजित बैठक और उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	मंडल		वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
		बैठकों की कुल सं. जिसमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए	
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	4	4	हाँ
2.	डॉ. एम. सुब्रमण्यम	4	4	हाँ
3.	श्रीमती जी जयंती	4	4	हाँ
4.	श्री शांतनु भटावडेकर	4	2	हाँ
5.	श्री एम मोहन	4	4	हाँ
6.	डॉ. अजीत टी. कलघटगी	4	4	हाँ
7.	श्री कमल बाली	4	1	नहीं

अनुलग्नक - I (ख)

वर्ष के दौरान आयोजित मंडल की समितियों की बैठक और उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		लेखा परीक्षण समिति	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	4	4	लागू नहीं	-
2.	श्री एम. सुब्रमण्यम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-
3.	श्रीमती जी जयंती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-
4.	श्री शांतनु भटावडेकर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-
5.	श्री एम मोहन	लागू नहीं	लागू नहीं	4	1
6.	डॉ. अजीत टी. कलघटगी	4	4	4	4
7.	श्री कमल बाली	4	-	4	4

अनुलग्नक - I (ग)

वर्ष के दौरान आयोजित मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक और उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री एम. सुब्रमण्यम	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	श्रीमती जी जयंती	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	श्री शांतनु भटावडेकर	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	श्री एम मोहन	2	1
6.	डॉ. अजीत टी. कलघटगी	2	2
7.	श्री कमल बाली	2	1

वर्ष 2023-24 के लिए सी.एस.आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सी.एस.आर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी की सी.एस.आर नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

- (i) सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों में मुद्दों की पहचान करना और उन मुद्दों को हल करने के लिए कंपनी की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना।
- (ii) सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए सी.एस.आर और स्थिरता की भावना पैदा करना और अधिक से अधिक भागीदारी को प्रेरित करना।
- (iii) समाज के सभी वर्गों के विकास और विकास के उद्देश्य से गतिविधियाँ करना।

2. सी.एस.आर समिति का गठन:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकत्व के प्रकार	वर्ष के दौरान सी.एस.आर बैठकों के आयोजन की संख्या	वर्ष के दौरान सी.एस.आर समिति की बैठकों की संख्या जिसमें शामिल हुए
क	डॉ. अजीत टी कलघटगी	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	4	4
ख	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य/कार्यकारी निदेशक	4	4
ग	श्री कमल बाली	सदस्य/ स्वतंत्र निदेशक	4	0

3. वे वेबलिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सी.एस.आर समिति का गठन, सी.एस.आर नीति एवं मंडल द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर परियोजनाएँ प्रकट की गई हैं:

- (i) सी.एस.आर समिति का गठन –
<https://www.antrix.co.in/sites/default/files/u59/CSR%20Committee-1.pdf>
- (ii) सी.एस.आर नीति
https://www.antrix.co.in/sites/default/files/REVISED%20CSRSD%20Policy%20-22.09.2023_0.pdf

4. अगर लागू हो तो, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) का अनुसरण करते हुए क्रियान्वित सी.एस.आर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

विगत तीन वित्त वर्षों में, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का अनुसरण करते हुए कंपनी के पास दस करोड़ रुपये या अधिक के औसतन सी.एस.आर दायित्व नहीं थे इसलिए सी.एस.आर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन नहीं किया गया था।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) का अनुसरण करते हुए व्यय हेतु उपलब्ध राशि एवं वित्त वर्ष के लिए व्यय हेतु अपेक्षित राशि, अगर कोई हो, तो उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	वित्त वर्ष	विगत वित्त वर्ष से व्यय हेतु उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	वित्त वर्ष के लिए व्यय हेतु अपेक्षित राशि, अगर कोई हो (₹ लाख में)
1	2023-24	0.35	0.35

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का शुद्ध लाभ - ₹ 6519.40 लाख
7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत - ₹ 130.40 लाख
- (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सी.एस.आर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष - ₹ 16.09 लाख
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो - ₹ 28.63 लाख
- (घ) वित्तीय वर्ष (6क+6ख-6ग) के लिए कुल सी.एस.आर दायित्व - ₹ 117.86 लाख

8. (क) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई या व्यय नहीं की गई राशि का ब्योरा:

वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ लाख में)	व्यय नहीं की गई राशि (₹ लाख में)				
	धारा 135(6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सी.एस.आर लेखा में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत वर्णित किसी भी निधि में अंतरित कुल राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
118.21	-	-	-	-	-

- (ख) वित्त वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं हेतु व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा (अनुलग्नक -1) - ₹ 63.38 लाख
- (ग) वित्त वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा (अनुलग्नक -2) - ₹ 54.83 लाख
- (घ) प्रशासनिक मद हेतु व्यय की गई राशि - शून्य
- (ङ) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, हेतु व्यय की गई राशि - शून्य
- (च) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (7ख+7ग) - ₹ 118.21 लाख
- (छ) व्यय हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो - ₹ 0.35 लाख

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)
i.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	130.40
ii.	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	118.21
iii.	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	(12.19)
iv.	विगत वर्षों के सी.एस.आर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों के बावजूद बची हुई राशि, यदि कोई हो	12.54
v.	आगामी वित्त वर्षों में व्यय के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.35

9. (क) विगत तीन वित्त वर्षों के लिए व्यय नहीं की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सी.एस.आर लेखा में अंतरित राशि (₹ लाख में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत वर्णित किसी भी निधि में अंतरित कुल राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (लाख में)
				निधि का नाम	राशि (₹ लाख में)	अंतरण की तिथि	
1	2020-21	-	820.53	-	-	-	(-) 0.53
2	2021-22	-	574.86	-	-	-	(-) 0.08
3	2022-23	-	324.79	-	-	-	(-) 28.63
	कुल		1720.18				

(ख) इस वित्त वर्ष में विगत वित्त वर्ष (वर्षों) के लिए जारी परियोजनाओं हेतु व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा

- शून्य

10. पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन या प्राप्ति के मामले में, वित्त वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर राशि से सृजित या प्राप्त परिसम्पत्ति का ब्योरा

- अनुलग्नक-3

11. धारा 135 (5) के अनुसार अगर कंपनी ने अपने औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं कर पाई है तो उसके कारणों का उल्लेख करें

- लागू नहीं

हस्ता /-

हस्ता /-

(संजय कुमार अग्रवाल)

(डॉ. अजीत कलघटगी)

अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक (आतिरिक्त प्रभार)/
एवं निदेशक (वित्त)

अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन: 05300252

डीआईएन: 08200144

₹ लाख में
अनुशंक-1

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई सी.एस.आर राशि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद्दत	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना के वर्ष में क्या व्यय की गई राशि (रु. में)	परियोजना के वर्ष में क्या व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना में क्या नहीं की गई सी.एस.आर तेजा में अंतिरिक्त राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का माध्यम-कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा		
								(1)	(2)	(3)
1	कोलार में 220 बिल्टिंग्स वाले सुपर सोशलिटी अस्पताल को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	कर्नाटका कोलार	20.00	20.00	-	हाँ	साई आश्रय ट्रस्ट, बोगारू के माध्यम से सिधे	
2	कर्नाटक के जिला अस्पतालों/सरकारी परिसरों में 5 समुदायिक शैकालयों में सौ जल हीटर चिकित्सा उपकरण	(iv) पर्यावरणीय स्थिरता परिस्थिति की सुरक्षा, कनप्पतियाँ और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना	हाँ	कर्नाटका पूरा कर्नाटका	5.38	5.38	-	नहीं	सुलभ इंटरेशनल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, बोगारू	
3	गडग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गडग को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	कर्नाटका गदगा	30.00	30.00	-	हाँ	जी.आई.एम.एस. गडग के माध्यम से संधे	
4	गडग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गडग को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	कर्नाटका गदगा	8.00	8.00	-	हाँ	जी.आई.एम.एस. गडग के माध्यम से सिधे	
				कुल			63.38	63.38		

₹ लाख में
अनुलग्नक -2

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई भी.एस.आर राशि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद्दत	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹. में)		कार्यान्वयन का माध्यम-कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सी.एस.आर पंजीकरण संख्या
					परियोजना के कार्यान्वयन का माध्यम-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	नाम	
1	कर्नटक के दावणगरे जिले में सचालित 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विकिळ्सा उपकरण		हाँ	कर्नटका दावणगरे	34.27	हाँ	-
2	सारदा चैरिटेबल विलानिक, देवधर, झारखंड (रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ) के लिए चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखाता को बढ़ावा देना	नहीं	झारखंड देवधर	9.11	हाँ	
3	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कार्यरत संगठन मार्गदर्शी, भेंटू को एक्जुलेस		हाँ	कर्नटका बॉलरू	11.45	हाँ	
				कुल	54.83		

₹ लाख में
अनुलग्नक -3

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सी.एस.आर के माध्यम से सृजित या अर्जित परिसंपत्तियों का विवरण

क्र.सं. (क) पूंजीगत परिसंपत्ति (ओं) के सृजन या अर्जन की तिथि	(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अर्जन के लिए व्यय की गई ¹ सी.एस.आर राशि	(ग) पूंजीगत परिसंपत्ति (ओं) के सृजन के लिए व्यय की गई ¹ सी.एस.आर राशि	(घ) सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (ओं) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)
1 06-01-2024	34.85	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, दावणगरे पता: एस औ जी कॉलोनी, दावणगरे औद्योगिक क्षेत्र, दावणगरे, कर्नाटका 577003	डायलिसिस मशीन (2 संख्या), अईसीयू इलेक्ट्रिक कॉट (8 संख्या), इसांजी मशीन (4 संख्या), कॉटरी मशीन (3 संख्या)
2 02-03-2024	9.54	रामकृष्ण मिशन विद्यालीठ, रामकृष्ण नगर, देवघर, झारखण्ड-814112	पूर्णतः स्वच्छालित बायोकॉमिस्ट्री विश्लेषक (1 संख्या), बायोसेसर कार्ट्रिज अधारित इलेक्ट्रोलाइट विश्लेषक (1 संख्या), ईसीजी मशीन (1 संख्या)
3 28-03-2024	11.56	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संगठन-मार्गदर्शा, बैंगलुरु	इको मारुति एब्लूलेस



सरकारी ज़िला अस्पताल, बागलकोट, कर्नाटक में चिकित्सीय उपकरण का निरीक्षण



गदग आयुर्विज्ञान संस्थान, गदग, कर्नाटक में चिकित्सीय उपकरण का निरीक्षण



**चत्त्रागिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दावणगेरे ज़िला, कर्नाटक हेतु प्रायोजित
चिकित्सीय उपकरण का निरीक्षण**

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

मत

हमने एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्व-पर्याप्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए एकिटी में परिवर्तन का विवरण, और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष वृष्टिकोण देते हैं, जैसा कि संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखाविधि सिद्धांतों में बताया गया है, 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और अन्य व्यापक आय सहित इसका लाभ, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एकिटी में बदलाव परिलक्षित करती है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षण मानक (ए.एस) के अनुरूप लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का वर्णन आगे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा

जारी नैतिक-संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसमें शामिल प्रावधानों के अनुरूप हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इन आवश्यकताओं एवं नैतिक-संहिता के अनुरूप हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है वह इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के बारे में अपने लेखापरीक्षण-गंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

तथ्यात्मक महत्ता

हम वित्तीय विवरणी में शामिल निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

- क) इण्ड ए.एस के वित्तीय विवरणों में नोट 45(i) देवास मल्टी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दायर कानूनी मामले में हुई प्रगति के संदर्भ में है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर्शाई गई राशि शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त, 2022 के अपने आदेश के तहत इस दावे को रद्द कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः 3 जुलाई, 2023 और 6 अक्टूबर, 2023 के अपने आदेशों के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली (एकल पीठ के आदेश) की वैधता की पुष्टि की है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में निर्णय को अंतिम रूप से रद्द कर दिया गया है।
- ख) विदेशी न्यायालयों में देवास/देवास के निवेशकों/डी.एम.ए आइ द्वारा दायर मामलों से संबंधित नोट के नोट 45(ii) में विदेशी विधिक कार्यवाही के तहत विवरण प्रदान किए गए हैं।
- ग) नोट संख्या 48 एवं 49 - ग्राहकों/विक्रेताओं से बाकी बची शेष राशि नहीं प्राप्त होने की पुष्टि एवं लंबित मिलान के कारण लाभ तथा हानि विवरण पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव से संबंधित है।

- घ) लंबित कर विवादों के अंतर्गत दावों से संबंधित नोट सं. 42(i)(क)(i) एवं गैर-शामिल व्यापक ब्याज से संबंधित नोट सं. 50 तथा नोट सं. 42(i)(क)(i) के अंतर्गत कर माँग पर शास्ति से संबंधित है।

इन मामलों में हमारा गंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।

प्रमुख लेखापरीक्षण मामले

मुख्य लेखापरीक्षण मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के

मुख्य लेखापरीक्षण मामले का विवरण	मुख्य लेखापरीक्षण मामले को संबोधित करने के लिए लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ
<p>लंबित विवाद</p> <p>वर्ष के अंत तक कंपनी के पास विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित विवाद हैं, जिनके चलते आकस्मिकता उत्पन्न होने की स्थिति में परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं।</p> <p>इन विवादों की स्थिति और कंपनी के प्रति दावों के रूप में मानी जाने वाली राशि, जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के नोट सं 42, 45 और 50 के अंतर्गत प्रकट किया गया है। वर्ष के दौरान हुए घटनाक्रमों और बाह्य कर एवं विधि विशेषज्ञों से मिले परामर्श को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर दावों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।</p>	<p>इन दावों के परिमाणीकरण और प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में निम्नलिखित मामले से संबंधित निष्पादित प्रक्रियाएँ शामिल हैं, संलग्न इण्ड. ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षण राय हेतु आधार प्रदान करते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> i) लंबित विवादों की पहचान करने और प्रकटीकरण की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना। ii) वर्ष के दौरान हुए घटनाक्रमों और वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए आंतरिक विधिक दल के साथ चर्चा और निदेशकमंडल तथा लेखापरीक्षण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा। iii) वर्ष के दौरान बिना किसी घटनाक्रम से संबंधित विवादों के बारे में, चुनिंदा तौर पर सहायक दस्तावेजों की समीक्षा तथा लेखाविधि और प्रकटीकरण के आधार हेतु प्रबंधन के साथ चर्चा। iv) वर्ष के दौरान हुए घटनाक्रमों के चलते प्रकटीकरण या दावे की राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन। वर्ष के अंत में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की स्थिति में होने वाले वस्तुपरक परिवर्तनों की तिथि वर्ष के अंत के बाद की घटनाओं के प्रभाव का आकलन। v) वर्ष के अंत तक की स्थिति में भौतिक परिवर्तनों के लिए वर्ष के अंत से लेकर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक की घटनाओं के प्रभाव का आकलन करना।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी एवं लेखापरीक्षण के अलावा सूचना

कंपनी के निदेशक-मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के

लिए भारतीय इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मामले इण्ड ए.एस. के वित्तीय विवरणों के हमारे समग्र लेखापरीक्षण के संदर्भ में थे, और उस पर हमारी राय बनाने से संबंधित थे, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षण मामले के रूप में निर्धारित किया है। हमारे लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के परिणाम, जिनमें निम्नलिखित मामले से संबंधित निष्पादित प्रक्रियाएँ शामिल हैं, संलग्न इण्ड. ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षण राय हेतु आधार प्रदान करते हैं।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसपर हम कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी या लेखापरीक्षण में हमें प्राप्त ज्ञान या अन्यथा गलत आर्थिक विवरण प्रतीत होने के साथ आर्थिक रूप से अस्थिर है।

जब हम मंडल रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ऐसी अन्य सूचना के साथ कोई गलत बयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य को निदेशकमंडल के समुख प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित लेखाविधि मानक सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नक़द प्रवाह और कंपनी की एकिटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, की आवश्यकता के अनुसार अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखाविधि अभिलेख का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखाविधि नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; तथा पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणी से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या इण्ड ए.एस. त्रुटि से उत्पन्न तथ्यात्मक असत्य विवरण से मुक्त, सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हों, जिन्हें उपयुक्त

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के दौरान जारी व्यापार के लिए कंपनी की योग्यता का आकलन, जारी व्यापार से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, एवं लेखाविधि के लिए जारी व्यापार के आधार के उपयोग के लिए के प्रबंधन और निदेशक-मंडल उत्तरदायी हैं, सिवाय इसके कि निदेशक-मंडल कंपनी को परिनिर्धारित करने का इरादा रखते हों या काम बंद कर देना चाहें या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

ये निदेशक-मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए भी उत्तरदायी हैं।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी आर्थिक गलत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या भूलवश हो और वह लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन, एक उच्च क्षमता का आश्वासन है, परन्तु वैसी गारंटी नहीं है कि एस.ए.के अनुरूप किया गया लेखापरीक्षण हमेशा आर्थिक गलत विवरण का पता लगा लेगा अगर यह मौजूद होता है। गलत विवरण का उद्धव धोखाधड़ी से या भूलवश हो सकता है और इसे आर्थिक तभी माना जाता है अगर एकल या समेकित रूप से इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जाना संभावित प्रतीत हो।

एस.ए. के अनुरूप लेखापरीक्षण के हिस्से के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय करते हैं और समूचे लेखापरीक्षण के दौरान पेशेवराना नज़र रखते हैं। हम,

क) इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में धोखाधड़ी या भूल के कारण होने वाले आर्थिक गलत विवरण से जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी कारणों के लिए लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करते हैं और लेखापरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, तथा वैसे लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार

प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के कारण दिए जाने वाले आर्थिक ग़ालत विवरण की पहचान नहीं किए जाने का जोखिम ज्यादा हो सकता है बनिस्खत कि भूल के कारण, क्योंकि धोखाधड़ी में कपट, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का रद्द किया जाना शामिल है।

- (ख) स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह मत रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादक प्रचालनीयता विद्यमान हैं।
- (ग) उपयोग में लाई जाने वाली लेखाविधि नीतियों एवं लेखाविधि आकलनों की यथार्थता तथा प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।
- (घ) प्रबंधन द्वारा लेखाविधि के लिए जारी व्यापार की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाक्रम या स्थितियों से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार की निरंतरता पर उल्लेखनीय संशय उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है तो अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी से संबंधित प्रकटीकरण के प्रति इस ओर ध्यान आकर्षित करने या ऐसे प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त हैं तो अपने विचारों में संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य के घटनाक्रम या स्थितियाँ, जारी व्यापार की निरंतरता पर विराम लगा सकती हैं।
- (ङ) प्रकटीकरण सहित इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की समेकित प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु तथा क्या इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी गुप्त अंतरण तथा घटनाक्रम को इस तरह प्रस्तुत करते हैं ताकि उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करते हैं।

भौतिकत्व ही इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में ग़ालत विवरण का परिमाण है जो एकल या समेकित रूप से यह संभावना व्यक्त करता है कि वित्तीय विवरणी की यथार्थ जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखापरीक्षण कार्यों के दायरे की योजना और अपने काम के परिणाम के मूल्यांकन तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किसी चिह्नित ग़ालत विवरण से पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन में परिमाणात्मक भौतिकत्व एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षण परिणाम में शामिल आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ जिनकी हम पहचान करते हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों को वह विवरण प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और सभी संबंधों एवं अन्य बातों जिनका हमारी स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, और संबंधित बचाव, यदि लागू होता हो, के बारे में बात करते हैं।

उन सभी पदाधिकारियों को बताई गई बातों के आधार पर, हम उन बातों को सुनिश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि के इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं और जो परिणामस्वरूप प्रमुख लेखापरीक्षण संबंधी बातें हैं। हम, विधि या अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण पर लगने वाली रोक या किसी बेहद ख़ास परिस्थितियों में जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में इन बातों के उल्लेख का ग़ालत प्रभाव पड़ने वाला है जिससे सार्वजनिक हितलाभ को नुकसान होने वाला है, के अलावा इन बातों को अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित करते हैं।

अन्य बातें

- (क) हमारा प्रतिष्ठान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वैधानिक लेखा परीक्षक भी था।
- (ख) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित, कंपनी के इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर मंडल की ओर से श्री

संजय कुमार अग्रवाल निदेशक (वित्त), श्री मोहन महादेवन, निदेशक और श्री जी. आनंद नारायण, कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिन्हें 21 जून, 2024 को मंडल की संपत्र बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिनियम की धारा 134(1) के अंतर्गत मंडल की ओर से अधिकृत किया गया है।

- (ग) लेखा में वर्णित आयकर की वापसी एवं प्राप्त पावती के बीच की समामेलन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

इन मामलों में हमारा गंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") यथापेक्षित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लेखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित "अनुलग्नक-क" में हम विवरणी प्रस्तुत करते हैं।
 2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं उन्हें प्राप्त किया है;
 - (ख) हमारी राय में, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित विधिसम्मत उपर्युक्त लेखा-बही कंपनी के पास हैं, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, एकीटी में परिवर्तन की विवरणी लेखा-बही के अनुरूप है।
 - (घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी, अधिनियम की धारा 133, नियम 7 सहित पठ्य कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम 2015, यथासंशोधित में वर्णित लेखाविधि मानकों के अनुरूप है।

- (अ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 164(2) के निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

- (च) कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संदर्भ में एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए “अनुलग्नक-ख” में अलग से प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट का संदर्भ लें।

- (छ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है; और

- (ज) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11, के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में :-

- (I) कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक की अपनी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के नोट 42(i) क, 44 एवं 50 का संदर्भ लें।

- (II) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास अन्य स्रोतों से प्राप्त संविदा सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके चलते कोई अनपेक्षित आर्थिक हानि हुई हो।

- (III) (III) 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई ऐसी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता हुई हो।

- (IV) (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उन्हें ज्ञात है और विश्वास है कि (किसी उधार

अंतिम लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार है और लाभांश के भुगतान पर लागू होने वाली सीमा पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूँजी पुनर्गठन पर 27 मई, 2016 को जारी डी.आइ.पी.ए.एम के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

जैसा कि इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी के नोट 54 में उल्लिखित है, कंपनी के निदेशक-मंडल ने इस वर्ष के लिए एक अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

घोषित लाभांश की राशि लाभांश की घोषणा पर लागू होने वाले अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

VI. कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

हमारी परीक्षा के आधार पर, जिसमें जाँच-परख शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए लेखाविधि सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रैल (एडिट लॉग) अभिलेखित करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में अभिलेखित सभी प्रासंगिक अंतरण के लिए इसे पूरे वर्ष काम में लाया गया है। इसके अलावा, हमारे लेखापरीक्षण के दौरान हमें ऑडिट ट्रैल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट हेतु, कृपया "अनुलग्नक ग" में वर्णित हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

कृते ए जॉन मोरिस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 007220S)

हस्ता /-

(ए जी कृष्णन)

भागीदार

सदस्यता सं. 021183

यू.डी.आइ.एन : 24021183BKEUGH1796

स्थान : बैंगलूरु
तिथि : 21 जून 2024

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक “क”

- (i) (क) (ए) कंपनी, अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखी है।
- (बी) कंपनी, अपनी अमूर्त परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखी है।
- (ख) सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के सत्यापन हेतु वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का वस्तुगत सत्यापन किया गया है। प्रबंधन से हमें मिली सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जाँच के दौरान कोई भी कमी नहीं पाई गई है।
- (ग) कंपनी के पास पट्टाधारी भूमि, जिसका कंपनी पट्टाधारक है, पर भवन के अलावा कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- (ङ) 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (च) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, बेनामी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1988 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध किसी बेनामी संपत्ति धारिता संबंधी कोई कार्यवाही न तो शुरू की गई है, न लंबित है।
- (ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन किया गया है। हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कंपनी गैर-विवादित सांविधिक बकाये से संबंधित आधार पर, सत्यापन का अंतराल उपयुक्त है और ऐसे सत्यापन का दायरा और प्रक्रिया उचित है। ऐसे सत्यापन के दौरान वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग में समेकित रूप से 10% या इससे अधिक की कोई कमी नहीं पाई गई थी।
- (ख) कंपनी के पास बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित कोई पूँजी सीमा नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ii)(बी) लागू नहीं है।
- (iii) कंपनी ने किसी कंपनी, प्रतिष्ठान, सीमित देयता साझेदारों या अन्य किसी पक्ष के साथ कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दिया है या सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति का ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iii) लागू नहीं है।
- (iv) कंपनी के पास कोई ऋण, निवेश, गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं है जिसका अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के तहत अनुपालन आवश्यक हो। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iv) लागू नहीं है।
- (v) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कोई राशि जमा नहीं की गई है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जमा माना जाए। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (v) लागू नहीं है।
- (vi) कंपनी एक सेवा प्रदाता/व्यापारिक प्रतिष्ठान है और इसलिए अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत अभिलेख के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (vi) लागू नहीं है।
- (vii) (क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कंपनी गैर-विवादित सांविधिक बकाये से संबंधित

लेखा-बही में कटौती की गई/जमा राशि जिसमें माल एवं सेवा कर, कंपनी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि, आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक बकाया से संबंधित कोई भी गैर-विवादित राशि देय नहीं थी जिसे 31 मार्च, 2024 तक भुगतान किए जाने हेतु छः महीने से अधिक अवधि तक बकाया के तौर पर रखा गया हो।

हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, माल एवं सेवा कर, कंपनी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि, आयकर,

उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक बकाया से संबंधित कोई भी गैर-विवादित राशि देय नहीं थी जिसे 31 मार्च, 2024 तक भुगतान किए जाने हेतु छः महीने से अधिक अवधि तक बकाया के तौर पर रखा गया हो।

(ख) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, विवाद के कारण, सेवाकर, बिक्री कर एवं मूल्य संवर्धित कर कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं :

क्रम सं.	अध्यादेश का नाम	बकाये की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	बकाये की अवधि	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	885.33	01 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण(सी.ई.एस.टी.ए.टी), बैंगलूरु
2	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	163.02	01 अक्टूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण(सी.ई.एस.टी.ए.टी), बैंगलूरु
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	264.18	01 अक्टूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण(सी.ई.एस.टी.ए.टी), बैंगलूरु
4	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	14,683.09	01 अप्रैल, 2005 से 31 जुलाई, 2008 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
5	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	7,109.80	01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
6	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	20,320.02	01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
7	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	20,577.15	01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
8	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	23,325.87	01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
9	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	26,183.62	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
10	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	26,328.42	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
11	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	211.48	मूल्यांकन वर्ष 2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)
12	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	39.98	वित्त वर्ष 2019-20	आयकर आयुक्त (अपील)
13	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	163.07	वित्त वर्ष 2020-21	आयकर आयुक्त (अपील)

- (viii) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर आकलन में पिछले वर्ष लेखा-बही में उल्लिखित नहीं किए गए किसी भी अंतरण को आय के तौर पर अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (viii) लागू नहीं है।
- (ix) वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है या कोई उधारी नहीं ली गई है और न ही वर्ष के अंत में लंबित है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) (क) से 3 (ix) (च) लागू नहीं हैं।
- (x) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण पत्रक सहित) द्वारा कोई उगाही नहीं की है और न ही वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य आबंटन या शेयर का निजी स्थानन या विनिमेय ऋणपत्र जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (x) (क) एवं (ख) लागू नहीं हैं।
- (xi) (क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई या कंपनी से धोखाधड़ी की कोई घटना देखी गई या रिपोर्ट की गई है।
- (ख) वर्ष के दौरान, कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथावर्णित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट उल्लिखित नहीं की गई है।
- (ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा वर्णित किया गया है, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा सूचना प्रदाता संबंधी कोई भी परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।
- (xii) कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं हैं।
- (xiii) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर

- संबंधित पक्षों के साथ अंतरण यथा लागू अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं और लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणी में इनके विवरण उल्लेखित किए गए हैं।
- (xiv) (क) हमारे मत एवं हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी के व्यापार के आकार एवं प्रकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षण प्रणाली है।
- (ख) हमने लेखापरीक्षण वर्ष के दौरान, कंपनी से संबंधित अब तक जारी की गई लेखा रिपोर्ट की आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (xv) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी अंतरण नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं हैं।
- (xvi) (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 अ के तहत कंपनी को पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (क) लागू नहीं हैं।
- (ख) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास हेतु वित्तीय क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (ख) लागू नहीं हैं।
- (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए परिनियमों की परिभाषा के अनुसार, कंपनी मूल रूप से कोई निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (ग) लागू नहीं हैं।
- (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश 2016 के अनुसार, कंपनी के पास कोई समूह कंपनी नहीं है जैसा कि मूल रूप से निवेश कंपनी के लिए पारिभाषित है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (घ) लागू नहीं हैं।
- (xvii) कंपनी को वर्तमान वर्ष और इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष में कोई धन-हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xviii) लागू नहीं हैं।

(xix) इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के लिए नोट 56 में प्रकट वित्तीय अनुपातों के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु और उनके प्राप्त की संभावित तिथि और वित्तीय देयताओं के भुगतान के साथ निदेशक-मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं की जानकारी और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है जिसे कंपनी तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय अपनी देयताओं को चुकता करने के लिए सक्षम नहीं हो। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहारिकता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। आगे हम कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है और हम न तो

कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताओं, जैसे ही वे देय हों, का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

(xx) (क) जारी परियोजनाओं के अलावा कोई अव्ययित राशि नहीं रही है जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के द्वितीय प्रावधान के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो।

(ख) वैसी कोई भी जारी परियोजनाएँ जिसमें सभी राशि जो अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के अंतर्गत अव्यतित रही है, उसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष लेखा में अंतरित कर दी गई हैं।

(xxi) अन्य समूह कंपनियों में योग्यता या प्रतिकूल लेखा परीक्षक टिप्पणी – लागू नहीं

कृते ए जॉन मोरिस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 0072205)

हस्ता /-

(ए जी कृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 021183
यू.डी.आई.एन : 24021183BKEUGH1796

स्थान : बंगलूरु
तिथि : 21 जून 2024

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक “ख”

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2024 तक की इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट (“दिशानिर्देश नोट”) में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में व्यापार का सुचारू एवं सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत आइ.सी.ए.आइ द्वारा जारी विहित लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट एवं मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएँ तथा इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करें और ऐसे सभी महत्वपूर्ण पहलू प्रभावशाली ढंग से

प्रचालित किए गए या नहीं, इसके बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण संपन्न करें।

हमारे लेखापरीक्षण में, इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के संदर्भ एवं उनकी परिचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण में इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के संदर्भ से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वस्तुगत कमी से संबंधित जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के परिस्तिथि तथा प्रचालनीय प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। इसके लिए चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणी में, धोखाधड़ी से या भूलवश की गई वस्तुपरक ग़लत बयानी से उत्पन्न जोखिम का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली से जुड़े इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपने लेखापरीक्षण मत प्रकट करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती है। एक कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं; (ii) उचित आश्वासन प्रदान

करती हैं कि अभिलिखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किए जाते हैं; और, (iii) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोकथाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका वित्तीय विवरणी पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ता हो ।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमा

वित्तीय विवरणों के संदर्भ रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण वस्तुपरक ग़लतबयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। साथ ही, भविष्य

के लिए इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप जोखिम भरा है। इस कारण, इस संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है।

मत

हमारे मत से, सभी आर्थिक पहलुओं में, कंपनी के पास इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर आइ.सी.ए.आइ द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे ।

कृते ए जॉन मोरिस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 0072205)

हस्ता /-
(ए जी कृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 021183
यू.डी.आइ.एन : 24021183BKEUGH1796

स्थान : बैंगलूरु
तिथि : 21 जून 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंड ए.एस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आइ टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाविधि अंतरण को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आइ टी प्रणाली के बाहर लेखाविधि अंतरण को संसाधित करने से लेखा की एकीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	जी हाँ, कंपनी के पास आइ टी प्रणाली से सभी लेखाविधि अंतरण किए जाने की प्रणाली स्थापित हैं। हालाँकि कुछ लेखाविधि प्रविष्टियाँ एक्सेल स्प्रेडशीट और अन्य प्रणाली से लिए गए हैं किंतु इन्हें उपयुक्त अनुमोदन और नियंत्रण के बाद लेखाविधि आइ टी प्रणाली द्वारा से संसाधित किया जाता है। उपर्युक्त कारणों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ़ कर देने/बहुत खाते में डालने के लिए पुनः संरचनाबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई ऋण या अन्य उधारी नहीं है या वर्ष के अंत में कोई लंबित भी नहीं है। इसलिए इस निर्देश के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती। उपर्युक्त कारणों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।
3	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें। बनाइए।	केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय विवरणों के नोट में उल्लिखित नोट 41 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अनुदान राशि लेखाविधि मानक के अनुपालन के लिए उचित मूल्यांकन पर आधारित महज मानी गई अनुदान राशि है।

कृते ए जॉन मोरिस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 0072205)

हस्ता /-

(ए जी कृष्णन)

भागीदार

सदस्यता सं. 021183

यू.डी.आइ.एन : 24021183BKEUGH1796

स्थान : बैंगलूरु

तिथि : 21 जून 2024

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2024 वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा करते हुए इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है/हैं। दिनांक 21.06.2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता /-

(गुरवीन सिधू)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केंद्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 26.07.2024

विस्तृत वित्तीय विवरण

सी.आइ.एन: U85110KA1992GOI013570
31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र

(शेयर आँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिसंपत्तियाँ:			
(1) गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	4	802.47	843.10
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4 क	5.41	7.41
(ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्तियाँ	5	245.16	250.61
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) ऋण	6	0.25	0.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	0.72	0.67
(ङ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	31	2,718.25	2,776.54
(च) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	28,147.75	32,447.69
		31,920.01	36,326.46
(2) वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्तिसूची	9	0.21	0.21
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	10	2,017.31	4,015.88
(ii) नक़द और नक़द समतुल्य	11	18,364.36	15,265.51
(iii) नक़द और नक़द समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	12	89,841.34	85,304.24
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	6,869.87	3,643.52
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	14	9,470.47	13,924.39
		1,26,563.56	1,22,153.75
		1,58,483.57	1,58,480.21
एकिटी और देयता:			
(1) एकिटी			
(क) एकिटी शेयर पूँजी	15	680.00	680.00
(ख) अन्य एकिटी	16	1,46,844.19	1,47,992.03
		1,47,524.19	1,48,672.03
(2) देयताएँ			
गैर वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	17	269.10	269.76
(ख) प्रावधान	18	-	7.44
		269.10	277.20
वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	17	0.67	0.61
(ii) व्यापार देयताएँ	19	2.19	1.45
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		6,142.16	4,789.42

(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	972.32	1,131.41
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	21	3,479.89	3,253.12
(ग) प्रावधान	22	93.05	354.97
		10,690.28	9,530.98
		1,58,483.57	1,58,480.21
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	3		
सलग्र नोट संख्या 1 से 57 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।			

यह हमारी समतिथि की रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।

कृते जान मोरिस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

प्रतिष्ठानपंचकरण संख्या: 007220S

कृते एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड निदेशक मंडल एवं की ओर से

हस्ता /-

हस्ता /-

हस्ता /-

हस्ता /-

ए.जी. कृष्ण

सदस्यता संख्या: 021183

यूडीआईएन: 24021183BKEUGH1796

बैंगलूरु

21 जून, 2024

संजय कुमार अग्रवाल

आध्यक्ष-सह - प्रबंधक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

एवं निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08200144

बैंगलूरु

21 जून, 2024

मोहन महादेवन

निदेशक

डीआईएन: 07267450

बैंगलूरु

21 जून, 2024

जी. आनंदनारायणन

कंपनी सचिव

आईसीएसआई सदस्यता संख्या 13691

बैंगलूरु

21 जून, 2024

सीआइएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि विवरण

(शेयर अँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I प्रचालन से राजस्व	23	9,197.69	3,816.10
II अन्य आय	24	8,287.02	7,776.82
III कुल आय (I +II)		17,484.71	11,592.92
IV व्यय:			
(i) प्रचालन से राजस्व की लागत	25	7,757.01	2,753.08
(ii) माल की सूची में परिवर्तन	26	0.00	15.51
(iii) कर्मचारी लाभ व्यय	27	273.82	300.90
(iv) वित्त लागत	28	22.17	22.22
(v) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	4,4A & 5	55.47	78.51
(vi) अन्य व्यय	29	926.05	1,931.50
कुल व्यय (IV)		9,034.52	5,101.72
V कर पूर्व लाभ (III - IV)		8,450.19	6,491.20
VI कुल व्यय:			
(i) वर्तमान कर	30	2,104.16	1,366.89
(ii) आस्थगित कर		58.29	270.09
VII वर्ष के लिए लाभ (V - VI)		6,287.74	4,854.22
VIII अन्य व्यापक आय			
क (i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन		(2.11)	1.59
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.53	(0.40)
वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय (i+ii)		(1.58)	1.19
IX वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)		6,286.16	4,855.41
X प्रति एकीकी शेयर आय			
[शेयर का नाममात्र मूल्य ₹ 100 (31 मार्च, 2023 ₹ 100)]			
(1) मूल एवं परिवर्तित	32	924.67	713.86
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	3		
संलग्न नोट सं. 1 से 57 तक इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।			

यह हमारी समतिथि की रिपोर्ट में उल्लिखित लाभ तथा हानि का विवरण है।

कृते जॉन मोरिस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

प्रतिष्ठानपंचकरण संख्या: 007220S

कृते एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड निदेशक मंडल एवं की ओर से

हस्ता /-

हस्ता /-

हस्ता /-

हस्ता /-

ए.जी. कृष्णन

संजय कुमार अग्रवाल

जी. आनंदनारायणन

सदस्यता संख्या: 021183

आध्यक्ष-सह - प्रबंधक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

कंपनी सचिव

यूटीआईएन: 24021183BKEUGH1796

एवं निदेशक (वित्त)

आईसीएसआई सदस्यता संख्या 13691

बैंगलुरु

डीआईएन: 08200144

बैंगलुरु

21 जून, 2024

बैंगलुरु

21 जून, 2024

21 जून, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(शेयर आँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	8,450.19	6,491.20
समायोजन:		
वित्तीय लागत (पट्टा देयता)	22.17	22.22
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	55.47	78.51
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से नुकसान	0.44	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(201.29)	(1,053.00)
बैंक जमा से ब्याज आय	(7,860.53)	(5,571.68)
सरकारी अनुदान आय	(22.69)	(22.69)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन नकद प्रवाह	443.76	(55.44)
कार्यशील पूँजी परिवर्तन से समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी-ऋण	0.19	0.13
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	1,590.09	1,590.10
सम्पत्ति सूची में (वृद्धि)/कमी	0.00	15.51
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	2,199.86	15,595.21
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,957.45)	2.65
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	4,451.82	55.06
गैर वर्तमान प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(7.44)	7.44
व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1,353.49	(4,626.89)
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(159.09)	(73.64)
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	226.77	1,012.70
वर्तमान प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(261.92)	(360.48)
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	7,880.08	13,162.35
घटाएँ: भुगतान किया गया आयकर (शुद्ध)	606.22	(1,579.64)
प्रचालन गतिविधियाँ जनित शुद्ध नकद	8,486.30	11,582.71
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अन्य बैंक शेष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(4,537.10)	6,520.65
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(7.83)	(0.93)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	-	-
बैंकों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	6,591.58	4,496.00
निवेश गतिविधियाँ जनित/(इनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकद	2,046.65	11,015.72

ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
पट्टा देयता पर चुकाया गया ब्याज	(0.10)	(0.10)
लाभांश भुगतान	(7,434.00)	(7,570.00)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	(7,434.10)	(7,570.10)
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि	3,098.85	15,028.33
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 11 देखें)	15,265.51	237.18
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 11 देखें)	18,364.36	15,265.51
नकद एवं नकद समतुल्य के घटक		
बैंकों में जमा शेष राशि	524.25	8,665.74
3 महीने से कम या बराबर की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा	17,840.00	6,599.69
हाथ नकद	0.11	0.08
	18,364.36	15,265.51
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	नोट 3	
संलग्न नोट संख्या 1 से 57 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।		

यह हमारी समतिथि की रिपोर्ट में संदर्भित नकद प्रवाह विवरण है।

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
ए.जी. कृष्ण	संजय कुमार अग्रवाल	मोहन महादेवन	जी. आनंदनारायण
सदस्यता संख्या: 021183	आध्यक्ष-सह - प्रबंधक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	निदेशक	कंपनी सचिव
यूटीआईएन :24021183BKEUGH1796	एवं निदेशक (वित्त)	डीआईएन : 07267450	आईसीएसआई सदस्यता संख्या 13691
बैंगलूरु	डीआईएन : 08200144	बैंगलूरु	बैंगलूरु
21 जून, 2024	बैंगलूरु	21 जून, 2024	21 जून, 2024
	21 जून, 2024		

सीआइएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एक्टिटी में परिवर्तन का विवरण

(शेयर और कंपनी एवं योग्यतालिखित के अलावा सभी राशि लाख रुप्पे में हैं)

क. एक्टिटी शेयर पूँजी	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
	तक	तक
(i) वर्ष के आरंभ में शेयर राशि	680.00	680.00
(ii) पूँजीविधि भूल के कागण एक्टिटी शेयर तूँजी में परिवर्तन	-	-
(iii) वर्ष के आरंभ में पुनरोक्त शेयर राशि	680.00	680.00
(iv) वर्ष के दैरान एक्टिटी शेयर तूँजी में परिवर्तन	-	-
(v) वर्ष के अंत में शेयर राशि	680.00	680.00

विवरण	अतिरिक्त राशि और अधिशेष						कुल
	सामान्य अतिरिक्त राशि	पूँजी पुनर्लाभ अतिरिक्त राशि	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य आयका आय की मद्देता	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	तक	तक	
(i) वर्ष के आरंभ में शेयर राशि	1,06,614.10	1,06,614.10	60.00	41,313.08	44,028.86	4.85	3.66
(ii) लेखा-विधि नोटि में परिवर्तन या पूँजीविधि बढ़ियाँ	-	-	-	-	-	-	1,47,992.03
(iii) वर्ष के आरंभ में पुनरोक्त शेयर राशि	1,06,614.10	1,06,614.10	60.00	41,313.08	44,028.86	4.85	3.66
(iv) वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	6,287.74	4,854.22	-	6,287.74
(v) प्रतिधारित लाभ योजना का पुनर्मापन (आयकर के बाद	-	-	-	-	(1.58)	1.19	4,854.22
(vi) लाभांश	-	-	-	(7,434.00)	(7,570.00)	-	(1.58)
(vii) वर्ष के अंत में शेयर राशि	1,06,614.10	1,06,614.10	60.00	40,166.82	41,313.08	3.27	4.85
						1,46,844.19	1,47,992.03

नोट:

- सामान्य अतिरिक्त राशि : यह अजिता लाभ से सुजिता एक वैकल्पिक अतिरिक्त राशि है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है बल्कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रवर्थनों के अनुरूप उपयोग के लिए है।
- पूँजी विमेचन अतिरिक्त राशि : कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूँजी विमेचन अतिरिक्त राशि या प्रतिभूति प्रीमियम से स्वयं छुटकारी है। खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के खरीदे गए शेयर के बाकर की राशि पूँजी विमेचन अतिरिक्त राशि में हस्तांतरण की जाती है। अतिरिक्त राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रवर्थनों के अनुरूप किया जा सकता है।

यह समितिश की हमारी रिपोर्ट में सदर्भात एक्टिटी में परिवर्तन का विवरण है

कृते जॉन मोरिस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठानांचलकरण संरच्छा: 0072205

हस्ता /-

हस्ता /-

हस्ता /-

हस्ता /-

ए. जी. कृष्णन
सदस्यां संख्या: 021183
यूटीआईएन: 24021183BKEUGH1796
दोमाइन: 21 जून, 2024

संजय कुमार अग्रवाल
आधाक्ष-सह - प्रबंधक निदेशक (अतिरिक्त प्रभाव)
दोमाइन: 08200144
दोमाइन: 21 जून, 2024

हस्ता /-

मोहन महदेवन
निदेशक
दोमाइन: 07267450
दोमाइन: 21 जून, 2024

हस्ता /-

जी. आनंदनारायणन
कंपनी सचिव
आईसीएसआई सदस्यां संख्या 13691
दोमाइन: 21 जून, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर औंकड़ों एवं उल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख हैं)

1. कंपनी का विहंगमावलोकन

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एन्ट्रिक्स" या "कंपनी") भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पादों एवं सेवाओं के विपणन में लगी हुई है। एन्ट्रिक्स भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। एन्ट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा है।

एन्ट्रिक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं:

- संचार उपग्रह ट्रांसपोर्डर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों (आई.आर.एस) तक पहुंच प्रदान करना
- ग्राहक उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से डेटा का विपणन
- उपग्रहों, उपग्रह उप-प्रणालियों एवं प्रक्षेपण यान उप-प्रणालियों का निर्माण तथा विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु बुनियादी ढांचे की स्थापना; एवं
- उपग्रहों हेतु मिशन सहायता सेवाएँ

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बीर्डल रोड, बंगलूरु - 560 094 में स्थित है।

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को संस्कीर्ति दे दी है और 21 जून, 2024 को जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

2. अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस" के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 यथासंशोधित के साथ पढ़ा जाता है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

3.1 सूजन एवं प्रस्तुति का आधार

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों या परिशोधित लागत पर मापा जाता है, संचय आधार का उपयोग करके ऐतिहासिक लागत समागम के तहत इंड एएस के अनुसार सृजित है।

वित्तीय विवरण इंड एएस 1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" में निहित वर्गीकरण प्रावधानों के अनुरूप हैं। स्पष्टता के लिए, विभिन्न मदों को लाभ और हानि के विवरण और तुलन पत्र में एकत्रित किया गया है। जहां भी लागू हो, इन मदों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में अलग-अलग विभाजित किया गया है। वित्तीय विवरण अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रारूप में सृजित एवं प्रस्तुत किए गए हैं।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया था या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता थी।

3.2 प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। सभी राशियों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित कर दिया गया है।

3.3 प्रचालन-चक्र एवं वर्तमान तथा गैर-वर्तमान वर्गीकरण

परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने अपने सामान्य प्रचालन चक्र को बारह महीने के रूप में सुनिश्चित किया है। यह सेवाओं की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों या सूची के अधिग्रहण एवं नकद तथा नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय पर आधारित है।

किसी भी संपत्ति या देनदारी को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

- i. कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की अपेक्षा की जाती है;
- ii. परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के अशय हेतु;
- iii. परिसंपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई है;
- iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की अपेक्षा है;
- v. परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने तक देनदारी का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;
- vi. देनदारी के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को बिना शर्त स्थगित करने का अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.4 आकलन एवं निर्णय का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएँ संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में

प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में। विशेष रूप से, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट्स में प्रकट की गई हैं:

(i) राजस्व मान्यता

कंपनी निश्चित मूल्य अनुबंधों के संबंध में पूर्णता की दिशा में प्रगति को मापने के लिए अनुबंध में सहमति के अनुसार गतिविधि के पूरा होने के मील के पथर/चरण का उपयोग करके पूर्णता के प्रतिशत विधि का उपयोग करती है। पूर्णता विधि लेखांकन का प्रतिशत कुल अपेक्षित अनुबंध राजस्व एवं लागत के अनुमान पर निर्भर करता है। इस पद्धति का पालन तब किया जाता है जब अनुबंध के विभिन्न तत्वों पर लागू राजस्व एवं लागत का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। चूँकि इन अनुबंधों की वित्तीय रिपोर्टिंग उन अनुमानों पर निर्भर करती है जिनका इन अनुबंधों की अवधि के दौरान निरंतर आधार पर मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है, जैसे-जैसे अनुबंध पूरा होने की ओर बढ़ता है, राजस्व मान्यता संशोधन के अधीन होती है।

(ii) आय कर

आयकर के प्रावधानों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिसमें यह निर्णय भी शामिल है कि क्या कर निर्धारण में कर की स्थिति कायम रहने की संभावना है। कर निर्धारण में जटिल मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जिन्हें केवल विस्तारित समय अवधि में ही हल किया जा सकता है।

(iii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशि के बीच उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई दरों पर होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्ति उस अवधि के दौरान भविष्य के कर योग्य लाभ की उत्पत्ति पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर और कर हानि कटौती योग्य हो जाती है। कंपनी यह आकलन करते समय आस्थगित कर देनदारियों एवं अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय के अपेक्षित उलटफेर पर विचार करती है। हालांकि, यदि कैरी-फॉरवर्ड अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान कम कर दिया जाता है, तो वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि निकट अवधि में कम हो सकती है।

(iv) परिभाषित लाभ योजनाएँ एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

परिभाषित लाभ योजनाओं की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल होता है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

(v) वित्तीय संपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि

वित्तीय संपत्तियों की हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और संग्रह के अपेक्षित समय के बारे में

धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन धारणाओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, ग्राहक की साख, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों और साथ ही कोविड -19 के प्रभाव पर आधारित है।

(vi) कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का आकलन

कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय उन संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो कोविड-19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा की वसूली भी शामिल है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि पर, क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी और आर्थिक पूर्वानुमान सहित जानकारी के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। और उम्मीद करता है कि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि वसूल कर ली जाएगी। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव महामारी की गतिशील स्थिति को देखते हुए इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

(vii) उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की कुछ लेखांकन नीतियों और प्रकटीकरणों के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों दोनों के लिए उचित मूल्यों के माप की आवश्यकता होती है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर उचित मूल्यों को उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अअवलोकन योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य को मापते समय, कंपनी जहां तक संभव हो अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य माप को उचित मूल्य पदानुक्रम के समान स्तर में निम्नतम स्तर के इनपुट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण है।

3.5 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) मान्यता एवं मापन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यहास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर बताया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत में उसका क्रय मूल्य शामिल होता है, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर शामिल होते हैं, जिसमें व्यापार छूट और वस्तु को उसके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल होती है।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण हिस्सों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग-अलग वस्तुओं के रूप में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान पर कोई भी लाभ या हानि लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

(ii) इंड एएस में अंतरण

इंड एएस में परिवर्तन पर, कंपनी ने 01 अप्रैल, 2015 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसे पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापा गया है, ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और उस वहन मूल्य को मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया जाता है। (नोट 4 देखें)।

(iii) परवर्ती व्यय

बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है यदि यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

(iv) मूल्यहास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करके उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यहास लगाया गया है। 0.05 लाख रुपये से कम की संपत्ति की मूल लागत का अवशिष्ट मूल्य 0% है और अन्य सभी संपत्तियों के लिए, उनका अवशिष्ट मूल्य मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत का 1% है। 1% के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति का अधिकतम सीमा तक मूल्यहास माना जाता है। कंपनी द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

संपत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवन
संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष
भवन	60 वर्ष
भवन (अस्थायी संरचनाएं)	3 वर्ष
भवन (बाड़, आदि)	5 वर्ष
फ़र्निचर व फिक्सचर	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
कंप्यूटर और सहायक उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
विद्युत प्रतिष्ठापन	10 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष

3.6 अमूर्त संपत्तियाँ

अमूर्त संपत्तियों को लागत से कम संचित परिशोधन और हानि पर बताया गया है। अनुमानित उपयोगी जीवन/परिशोधन लाइसेंस की अवधि है और इसकी अनुपस्थिति में 5 वर्ष है। इसका परिशोधन सीधी रेखा विधि के अंतर्गत किया जाता है।

3.7 वस्तु सूची

स्टॉक-इन-ट्रेड से युक्त इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत से कम और अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत पहले-आओ-पहले-जाओ के आधार पर निर्धारित की जाती है और इसमें इन्वेंट्री प्राप्त करने में किया गया व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत शामिल होती है।

3.8 राजस्व मान्यता

(i) उत्पादों की बिक्री

ग्राहकों को या उनके निर्दिष्ट/अनुबंधित परियोजना को सूपूर्द करते समय सभी अप्रत्यक्ष करों को घटाकर राजस्व की पहचान की जाती है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सूपूर्दगी में देरी होती है और ग्राहक स्वामित्व लेता है और बिल स्वीकार करता है, तो भौतिक सूपूर्दगी पूरी नहीं होने के बावजूद राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब तक कि पूरी अपेक्षा है कि सूपूर्दगी की जाएगी और सूपूर्दगी योग्य हाथ में हैं, पहचान लिया जाता है और सूपूर्दगी के लिए तैयार है। यदि सूपूर्दगी प्रतिष्ठापन/निरीक्षण जैसी शर्तों के अधीन है, तो ग्राहक द्वारा सूपूर्दगी स्वीकार करने और प्रतिष्ठापन/निरीक्षण पूरा होने तक राजस्व की पहचान नहीं की जाती है।

(ii) सेवाएँ

क) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन एवं परीक्षण

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर, ग्राहक के साथ अनुबंध के अनुसार गतिविधि के पूरा होने के मील के पत्थर/चरण के संदर्भ में पहचाना जाता है।

ख) अभिगमन शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता इत्यादि।

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर, एकमुश्त सेवाएँ प्रदान करने पर या समय-समय पर आवर्ती सेवाओं के पूरा होने के आधार पर तुरंत पहचाना जाता है।

ग) परामर्शिता

अनुबंध में सहमत प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने के आधार पर राजस्व की पहचान की जाती है।

(iii) समग्र अनुबंध

ऊपर दिए गए मद (i) और (ii) के सामने उल्लेखित नीति के अनुसार समग्र अनुबंध के प्रत्येक मद के लिए राजस्व की पहचान की जाती है।

(iv) अन्य आय

क) ब्याज

ब्याज आय की पहचान प्रोद्धवन आधार पर की जाती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्तियों से ब्याज आय को रसीद के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) स्वामिस्व

स्वामिस्व का हिसाब ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर किया जाता है।

ग) निवेश पर लाभांश

निवेश पर लाभांश तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.9 विदेशी मुद्रा लेनदेन

(i) प्रारम्भिक मान्यता

लेन-देन की तिथि पर विनिमय दरों को लागू करके, विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जाता है।

(ii) परवर्ती मापन

विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को प्रतिवेदन की तिथि पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक संपत्तियां और देनदारियां बाद के मापों के लिए नहीं हैं। विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.10 वित्तीय साधन

(i) मान्यता एवं प्रारंभिक मापन

व्यापार प्राप्य को प्रारंभ में तब पहचाना जाता है जब वे उत्पन्न होते हैं। अन्य सभी वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय दायित्व को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन की लागत जो सीधे इसके अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है, तुरंत लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की जाती है।

(ii) वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक पहचान पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को माप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है

- परिशोधन लागत;
- एफ.वी.टी.पी.एल (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)
- एफ.वी.ओ.सी.आई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि उस अवधि के दौरान कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलती है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि यह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल के अनुसार निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारण करना है; और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज है।

एक ऋण निवेश को एफ.वी.ओ.सी.आई में मापा जाता है यदि यह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है और एफ.वी.टी.पी.एल में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्ति बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज है।

ट्रॉडिंग के लिए नहीं रखे गए इक्किटी निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी ओ.सी.आई (एफ.वी.ओ.सी.आई - इक्किटी निवेश के रूप में नामित) में निवेश के उचित मूल्य में बाद के बदलाव पेश करने का चुनाव कर सकती है। यह चुनाव निवेश दर निवेश के आधार पर होता है।

परिशोधन लागत या एफ.वी.ओ.सी.आई पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को एफ.वी.टी.पी.एल पर मापा जाता है।

एफ.वी.टी.पी.एल में वित्तीय परिसंपत्तियाँ	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
एफ.वी.ओ.सी.आई में ऋण निवेश	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी ब्याज पद्धति के तहत ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य निवल लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई) में मान्यता दी जाती है। मान्यता रद्द होने पर, ओ.सी.आई में संचित लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।
एफ.वी.ओ.सी.आई में इक्किटी निवेश	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अन्य निवल लाभ और हानि को ओ.सी.आई में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	इन परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। हानि से परिशोधन लागत कम हो जाती है। लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और हानि को मान्यता दी जाती है। मान्यता रद्द होने पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय देनदारियाँ

वित्तीय देनदारियाँ परिशोधन लागत या एफ.वी.टी.पी.एल पर मापी जाती हैं। यदि किसी वित्तीय देनदारी को -व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसे एफ.वी.टी.पी.एल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफ.वी.टी.पी.एल में वित्तीय

देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी ब्याज व्यय सहित निवल लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ब्याज व्यय और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। मान्यता रद्द करने पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में भी मान्यता दी जाती है।

(iii) अमान्यता

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देती है, या यह एक लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर देती है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और पारितोषिक काफी हद तक स्थानांतरित हो जाते हैं। या जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पारितोषिकों को न तो स्थानांतरित करती है और नाहीं पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है और नाहीं वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखती है।

ख) वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर देती है जब उसके संविदात्मक दायित्व समाप्त हो जाते हैं या रद्द हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं।

कंपनी किसी वित्तीय देनदारी की मान्यता तब भी रद्द कर देती है जब उसकी शर्तों को संशोधित किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी भिन्न होता है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देनदारी को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। समाप्त की गई वित्तीय देनदारी की वहन राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देनदारी के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

3.11 हानि

(i) वित्तीय साधनों की हानि

कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ते को मान्यता देती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है

प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ क्रेडिट-क्षतिग्रस्त हैं या नहीं। एक वित्तीय परिसंपत्ति "क्रेडिट-क्षतिग्रस्त" तब होती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली एक या अधिक घटनाएं घटित होती हैं।

इस साक्ष्य में कि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की साख-क्षतिग्रस्त है, निम्नलिखित अवलोकन योग्य डेटा शामिल है:

- उधारकर्ता या जारीकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;

- अनुबंध का उल्लंघन जैसे डिफ़ॉल्ट या 365 दिन या उससे अधिक समय से बकाया होना;
- कंपनी द्वारा किसी ऋण या अग्रिम का उन शर्तों पर पुनर्गठन जिन पर कंपनी अन्यथा विचार नहीं करेगी;
- यह संभव है कि उधारकर्ता दिवालियापन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा: या
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण सुरक्षा के लिए सक्रिय बाज़ार का लुप्त होना

व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ते को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

(ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

अन्य कर परिसंपत्तियों के अलावा कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

हानि परीक्षण के लिए, ऐसी परिसंपत्तियाँ जो स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों (सी.जी.यू) में एक साथ समूहीकृत किया जाता है। प्रत्येक सी.जी.यू परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य परिसंपत्तियों या सी.जी.यू के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होता है।

यदि किसी परिसंपत्ति या सी.जी.यू की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो तो हानि को मान्यता दी जाती है। क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.12 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि जैसे अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि में बिना छूट के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

ख) उपदान

कंपनी सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक परिभाषित लाभ योजना, उपदान प्रदान करती है। यह योजना पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या रोजगार समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है।

प्रावधान की राशि वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। निवल परिभाषित लाभ दायित्व का पुनः मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, ओ.सी.आई में मान्यता प्राप्त हैं। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं।

ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)

कंपनी के ऑन-रोल कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में नामांकित हैं। कंपनी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए) द्वारा बंधित

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में मूल वेतन और डीए का 14% योगदान करती है, जो एक परिभाषित योगदान योजना है। योगदान का लेखा संचय के आधार पर किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

घ) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

कंपनी के कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अल्पकालिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जो एक अन्य दीर्घकालिक रोजगार लाभ योजना है, का हिसाब तुलन पत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है और स्थगित नहीं किया जाता है।

ड) डाक जीवन बीमा (पी.एल.आई)

कंपनी अनुमोदित नीति के अनुसार ऑन-रोल कर्मचारियों के नाम पर सब्सक्राइब किए गए पी.एल.आई प्रीमियम का 50% योगदान करती है।

3.13 आय कर

आयकर में वर्तमान और स्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि किसी वस्तु को सीधे इकिटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य अपेक्षित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल है। वर्तमान कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान या प्राप्त होने वाली अपेक्षित कर राशि का सर्वोत्तम अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों की भरपाई केवल तभी की जाती है जब मान्यता प्राप्त राशियों को निर्धारित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो, और इसका उद्देश्य परिसंपत्ति का एहसास करना और निवल आधार पर या एक साथ देनदारी का निपटान करना है।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर को अग्रेषित कर घाटे और कर क्रेडिट के संबंध में भी मान्यता दी गई है। आस्थगित कर को इसके लिए मान्यता नहीं दी गई है:

- किसी लेनदेन में परिसंपत्तियों या देनदारियों की प्रारंभिक पहचान पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी मतभेद जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है;
- सन्दर्भान्वना की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होने वाले कर योग्य अस्थायी अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उनका उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ - गैर-मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती हैं और उन्हें इस हद तक पहचाना/कम किया जाता है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की क्रमशः संभावना/अब संभावना नहीं है।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की अपेक्षा की जाती है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देनदारी का निपटान किया जाता है, जो कि रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर होता है।

आस्थगित कर का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से उत्पन्न होंगे जिसमें कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा करती है।

यदि वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की भरपाई करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई पर या विभिन्न कर संस्थाओं पर लगाए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन वे ऐसा करने का इरादा रखते हैं। वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का निपटान निवल आधार पर करें या उनकी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली एक साथ की जाएगी।

3.14 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल कमाई की गणना वर्ष के दौरान इकिटी शेयरधारकों के कारण होने वाले निवल लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। वर्ष के दौरान बकाया इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस जारी करने की घटनाओं (यदि कोई हो) के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर मन्द आय की गणना करने के उद्देश्य से, इकिटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी मन्द संभावित इकिटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.15 प्रावधान तथा आकस्मिक देनदारियाँ एवं परिसंपत्तियाँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब किसी उद्यम पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं। जहां कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्प्रवाह की

संभावना दूरस्थ है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

3.16 नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकदी, बैंक जमा और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्षता के साथ अल्पकालिक निवेश शामिल होते हैं जो आसानी से नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होते हैं।

3.17 सरकारी अनुदान

भूमि पट्टा किराया के उचित मूल्य और अंतरिक्ष विभाग को भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराया के बीच के अंतर को मौद्रिक सरकारी अनुदान माना गया है। लाभ और हानि के विवरण के आय पक्ष के साथ-साथ व्यय पक्ष दोनों पर अनुमानित रूप से आय का हिसाब लगाया गया है।

3.18 पट्टा

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड एस 116 - लीज को अपनाया है और इसे 01 अप्रैल, 2019 को मौजूदा सभी लीज अनुबंधों पर लागू किया है।

निम्नलिखित को छोड़कर सभी पट्टों का उपयोग उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा दायित्व को मान्यता देकर किया जाता है:

- कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे; और
- 12 महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टे।

टिप्पणी: कंपनी के पास कोई कम मूल्य या अल्पकालिक पट्टे नहीं हैं।

निम्नलिखित नीतियाँ प्रारंभिक आवेदन की तिथि, 01 अप्रैल, 2019 के बाद लागू होती हैं:

पट्टे की देनदारियों को पट्टे की अवधि के दौरान पट्टेदार को देय संविदात्मक भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें पट्टे में निहित दर के संदर्भ में छूट दर निर्धारित की जाती है, जब तक कि (जैसा कि आम तौर पर मामला होता है) यह आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जिस स्थिति में पट्टे की शुरुआत पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान केवल पट्टा दायित्व के माप में शामिल किए जाते हैं यदि वे किसी सूचकांक या दर पर निर्भर होते हैं। ऐसे मामलों में, पट्टा दायित्व का प्रारंभिक माप मानता है कि परिवर्तनीय तत्व पूरे पट्टा अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। अन्य परिवर्तनीय पट्टा भुगतान उसी अवधि में व्यय किए जाते हैं जिससे वे संबंधित हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, पट्टा दायित्व के वहन मूल्य में यह भी शामिल है:

- किसी भी अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि;
- कंपनी के पक्ष में दिए गए किसी भी क्रय विकल्प का प्रयोग मूल्य, यदि उस विकल्प का आकलन करना उचित रूप से निश्चित है;
- पट्टे को समाप्त करने के लिए देय कोई दंड, यदि पट्टे की अवधि का अनुमान प्रयोग किए जा रहे समाप्ति विकल्प के आधार पर किया गया है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लीज देनदारी की राशि पर मापा जाता है, प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन के लिए कम किया जाता है, और इसके लिए बढ़ाया जाता है:

- पट्टा प्रारंभ होने पर या उससे पहले किया गया पट्टा भुगतान;
- आरंभिक प्रत्यक्ष लागत; और
- किसी भी प्रावधान की राशि को मान्यता दी गई है जहां कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्ति को नष्ट करने, हटाने या बहाल करने के लिए अनुबंधित रूप से आवश्यक है।

प्रारंभिक माप के बाद, बकाया राशि पर एक स्थिर दर से लगाए गए ब्याज के परिणामस्वरूप पट्टे की देनदारियाँ बढ़ जाती हैं और किए गए पट्टे के भुगतान के लिए कम हो जाती हैं। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की शेष अवधि के दौरान या परिसंपत्ति के शेष आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है, यदि, शायद ही कभी, इसे पट्टे की अवधि से कम माना जाता है।

जब कंपनी किसी पट्टे की अवधि के अपने अनुमान को संशोधित करती है, तो यह संशोधित अवधि के दौरान किए जाने वाले भुगतानों को दर्शनी के लिए पट्टे की देनदारी की वहन राशि को समायोजित करती है, जिसे संशोधित छूट दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टा देनदारियों का वहन मूल्य इसी तरह संशोधित किया जाता है जब किसी दर या सूचकांक पर निर्भर भविष्य के पट्टा भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, सिवाय छूट दर से संबंधित अपरिवर्तित रहता है। दोनों ही मामलों में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के वहन मूल्य के बराबर समायोजन किया जाता है, शेष (संशोधित) पट्टा अवधि में संशोधित वहन राशि का परिशोधन किया जाता है। यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को शून्य पर समायोजित किया जाता है, तो किसी भी और कमी को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.19 भारतीय लेखाकरण मानकों में संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एम.सी.ए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, एम.सी.ए ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

नोट नं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
4	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण (क) भवन (ख) फ़र्नीचर व फिक्सचर (ग) वाहन (घ) कार्यालय उपकरण (ज) कंप्यूटर और सर्वर (च) नेटवर्किंग उपकरण	759.64 21.77 11.83 2.18 2.97 4.08	789.29 28.51 14.40 5.81 5.08 0.01
		802.47	843.10
4 क	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ (क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों की सकल और शुद्ध अग्रणीत राशियों का समाधान, जिसमें परिवर्धन, निपटान और अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यहास और क्षति हानि या प्रतिवर्तन दर्शाया गया है, अलग से प्रकट किया गया है।	5.41	7.41
5	उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियाँ पट्टा-भूमि रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों की सकल और शुद्ध अग्रणीत राशियों का समाधान, जिसमें परिवर्धन, निपटान और अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यहास और क्षति हानि या प्रतिवर्तन दर्शाया गया है, अलग से प्रकट किया गया है।	245.16	250.61

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट
नोट - 4 का अनुलक्षक - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	भवन-आरसीसी निर्मित ढाँचा	भवन-वातानुकूलन, प्रणाली, अन्य प्रणलियाँ	भवन-विद्युत प्रणाली	भवन-अस्थायी निर्माण, बाड़ पिक्सर	फर्नीचर और पिक्सर	वाहन	कार्यालय उपकरण	संग्राहक और सर्वर	नेटवर्किंग उपकरण	कुल
सकल वाहित मान										
1 अप्रैल, 2022 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	242.13	22.28	86.09	108.35	1.11	1,769.28
परिवर्धन/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.05	0.88	-	0.93
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	242.13	22.28	86.14	109.23	1.11	1,770.21
परिवर्धन/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14	4.09
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	8.10	3.16	-	12.32
31 मार्च 2024 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	241.07	22.28	78.04	107.21	5.20	1,763.12
संचित मूल्यहास										
1 अप्रैल, 2022 तक	101.28	81.24	254.73	45.48	201.53	5.31	76.89	98.53	1.10	866.09
वर्ष हेतु मूल्यहास/समायोजन	14.47	11.61	7.29	3.93	12.09	2.57	3.44	5.62	-	61.02
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	115.75	92.85	262.02	49.41	213.62	7.88	80.33	104.15	1.10	927.11
वर्ष हेतु मूल्यहास/समायोजन	14.47	11.62	0.21	3.35	6.73	2.57	3.37	3.08	0.02	45.42
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	1.05	-	7.84	2.99	-	11.88
31 मार्च 2024 तक	130.22	104.47	262.23	52.76	219.30	10.45	75.86	104.24	1.12	960.65
शुद्ध वहन मूल्य										
31 मार्च 2023 तक	721.37	50.30	4.10	13.52	28.51	14.40	5.81	5.08	0.01	843.10
31 मार्च 2024 तक	706.90	38.68	3.89	10.17	21.77	11.83	2.18	2.97	4.08	802.47

टिप्पणी:

- व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।
- वार्षिक कियरा के आधार पर, प्रारंभ में 60 वर्षों के लिए, जिसकी शुरूआत दिनांक 01 फरवरी, 2009 से हुई, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से पट्टे पर ली गई जमीन पर भवन का निर्माण हुआ है। अपर्सी समझौते के आधार पर पट्टे की अवधि को 10 वर्ष की एक और अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट
नोट - 4ए का अनुलग्नक - अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोलिलखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	संगणक सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित)	कुल
सकल वाहित मान		
1 अप्रैल, 2022 तक	144.23	144.23
परिवर्धन / समायोजन	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च 2023 तक	144.23	144.23
परिवर्धन / समायोजन	2.60	2.60
निपटान / समायोजन	0.97	0.97
31 मार्च 2024 तक	145.86	145.86
संचित परिशोधन		
1 अप्रैल, 2022 तक	124.78	124.78
वर्ष के लिए परिशोधन /समायोजन	12.04	12.04
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च 2023 तक	136.82	136.82
वर्ष के लिए परिशोधन /समायोजन	4.60	4.60
निपटान / समायोजन	0.97	0.97
31 मार्च 2024 तक	140.45	140.45
शुद्ध वाहित मान		
31 मार्च 2023 तक	7.41	7.41
31 मार्च 2024 तक	5.41	5.41

टिप्पणी:

1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

नोट - 5 का अनुलग्नक - उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति

कंपनी द्वारा धारित उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के विवरण इस प्रकार है:

विवरण	पट्टा-भूमि	कुल
सकल वाहित मान		
1 अप्रैल, 2022 तक	272.41	272.41
परिवर्धन / समायोजन	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च 2023 तक	272.41	272.41
परिवर्धन / समायोजन	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 तक	272.41	272.41
संचित मूल्यहास		
1 अप्रैल, 2022 तक	16.35	16.35
वर्ष के लिए मूल्यहास /समायोजन	5.45	5.45
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च 2023 तक	21.80	21.80
वर्ष के लिए मूल्यहास /समायोजन	5.45	5.45
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 तक	27.25	27.25
शुद्ध वाहित मान		
31 मार्च 2023 तक	250.61	250.61
31 मार्च 2024 तक	245.16	245.16

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर अँकड़े एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
6	ऋण (अच्छे माने जाने वाले, असुरक्षित)		
	(क) कर्मचारियों को अग्रिम राशि	0.16	0.28
	(ख) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज	0.09	0.16
		0.25	0.44
7	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
	(क) सुरक्षा जमा	0.02	0.02
	(ख) 12 महीने से अधिक की परिपक्ता अवधि वाली बैंक जमा	-	-
	(ग) सुरक्षा जमा के बदले जारी प्रत्याभूति के विरुद्ध लाभ राशि के रूप में रखी गई बैंक जमाराशि	0.63	0.63
	(घ) बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	0.07	0.02
		0.72	0.67
8	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
	(क) पूँजी अग्रिम	-	-
	(ख) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	3,139.57	4,729.67
	(ग) कर प्राधिकारों के पास जमा	5,000.00	5,000.00
	(घ) प्रतिवाद के तहत भुगतान किए गए कर	5,500.78	5,500.78
	(ज) कर - बकाया वापसी	14,507.40	17,217.24
		28,147.75	32,447.69
9	वस्तुसूची		
	जारी व्यापार सामग्री	0.21	0.21
10	व्यापार प्राप्तियाँ		
	(क) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ-सुरक्षित	304.92	304.92
	(ख) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ-असुरक्षित	1,712.39	3,710.95
	(ग) व्यापार प्राप्तियाँ जिसमें ऋण जोखिम की उल्लेखनीय वृद्धि शामिल हैं	12,919.23	12,993.54
	(घ) व्यापार प्राप्ति - ऋण क्षति	2,633.41	2,760.40
		17,569.95	19,769.81
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	12,919.23	12,993.54
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - ऋण हानि	2,633.41	2,760.39
		2,017.31	4,015.88

नोट 10 का अनुलग्नक
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट
31 मार्च 2024 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालभवन सारणी

(शेयर अँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ - खरी मानी गई	796.74	102.68	118.25	68.40	931.24	2,017.31
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	-	31.23	31.24	373.18	10443.84	10,879.49
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	-	-	-	-	2622.77	2,622.77
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - खरी मानी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	-	-	-	-	2039.74	2,039.74
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	-	-	-	-	10.64	10.64

31 मार्च 2023 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालभवन सारणी

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - अच्छा माना जाता है	657.25	6.44	68.40	2,633.42	650.37	4,015.88
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	394.81	9.61	157.40	10,391.98	10,953.80
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - ऋण क्षीण	-	-	-	-	2,749.75	2,749.75
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्त - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	2,039.74	2,039.74
(vi) विवादित व्यापार प्राप्त - ऋण हानि	-	-	-	-	10.64	10.64

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर अँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
11	नकद और नकद समतुल्य		
	(क) बैंकों में शेष राशि - चालू खाते	524.25	8,665.74
	(ख) 3 महीने से कम या बराबर की परिपक्तता अवधि वाली बैंक जमा	17,840.00	6,599.69
	(ग) नकदी राशि	0.11	0.08
		18,364.36	15,265.51
12	नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष		
	(क) 12 महीने से कम या बराबर की परिपक्तता वाली राशि बैंक में जमा	89,779.15	84,970.00
	(ख) सुरक्षा जमा के बदले जारी प्रत्याभूति के विरुद्ध लाभराशि के रूप में रखी गई बैंक जमाराशि	-	6.75
	(ग) सी.एस.आर गतिविधियों के लिए निर्धारित बैंकों के पास शेष राशि	0.10	0.04
	(घ) सो.एस.आर गतिविधियों के लिए निर्धारित बैंक में जमा राशि	62.09	327.45
		89,841.34	85,304.24
13	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
	(क) बैंक में जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	4,814.79	3,545.89
	(ख) बिल रहित राजस्व (खरे माने गए, असुरक्षित)	2,044.06	84.25
	(ग) अन्य वसूली	11.02	13.38
		6,869.87	3,643.52
14	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (असुरक्षित-खरे माने गए)		
	(क) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	5,161.37	9,942.60
	(ख) उपदान निधि	-	-
	(ग) राजस्व प्राधिकारों के पास शेष राशि	4,309.10	3,981.79
		9,470.47	13,924.39

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर अँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

15	एक्टी शेयर पूँजी (क) अधिकृत: (i) 100 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले शेयरों की संख्या (ii) शेयरों की राशि (रु. लाख में)	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
	(i) 100 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले शेयरों की संख्या	1,00,00,000	1,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (रु. लाख में)	10,000.00	10,000.00
	(ख) निर्गत, अभिदृत और पूर्णतः प्रदत्त: (i) 100 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले शेयरों की संख्या (ii) शेयरों की राशि (रु. लाख में)	6,80,000 680.00	6,80,000 680.00
(ग) अवधि के आरंभ और अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या का सामंजस्य	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	
	(i) वर्ष के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की संख्या	6,80,000	6,80,000
	(ii) वर्ष के दौरान जारी	-	-
	(iii) वर्ष के अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या	6,80,000	6,80,000
	(iv) वर्ष के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की मात्रा	680.00	680.00
	(v) वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों की मात्रा	-	-
	(vii) वर्ष के अंत में बाकी बचे शेयरों की राशि	680.00	680.00
(b) लाभांश के वितरण एवं पूँजी के पुनर्गठन पर प्रतिबंध सहित शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध: (i) कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिन्हें एक्टी शेयर कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का सममूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। एक्टी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में घोषणा के तहत है। (ii) निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कर पक्षात लाभ का न्यूनतम 30% या कुल पूँजी का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को लाभांश के रूप में प्रदान किया जाएगा और पूँजी का पुनर्भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार होगा।			
	(c) कंपनी के 5% से अधिक शेयरों या शेयरों के वर्ग की शेयरधारिता का विवरण		
	100 रुपये प्रत्येक के प्रदत्त एक्टी शेयरों के समस्त 6,80,000 शेयर के 100 % राष्ट्रपति और उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास हैं।		
	(d) विकल्पों के अंतर्गत जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शेयर नहीं हैं।		
	(e) तुलन पत्र की तिथि पर एक्टी शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति नहीं है।		
	(f) जिस तिथि को तुलन पत्र तैयार किया गया है उस तिथि से ठीक पहले के पाँच वर्ष की		
	(g) अवधि की जानकारी		-----अनुलग्नक के अनुसार-----

नोट 15 का अनुलग्नक

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

तुलन पत्र तैयार करने की तिथि से ठीक पहले की पाँच वर्ष की अवधि की जानकारी

(शेयर आँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(i)	बिना नक्कद प्राप्ति के अनुबंध के अनुरूप पूर्ण प्रदत्त शेयर के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या एवं प्रकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त शेयर के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या एवं प्रकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं प्रकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के महामहिम राष्ट्रपति और उनके मनोनीत प्रतिनिधि के माध्यम से केन्द्र सरकार (भारत सरकार)	6,80,000	100%	6,80,000	100%	-
कुल	6,80,000	100%	6,80,000	100%	-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर ऑँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
16	अन्य एकिटी एकिटी में परिवर्तन के संलग्न विवरण के अनुसार	1,46,844.19	1,47,992.03
17	पट्टा देयताएँ (क) गैर वर्तमान (ख) वर्तमान	269.10 0.67 269.77	269.76 0.61 270.37
18	प्रावधान (क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान (ख) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अवकाश नकदीकरण	- - -	0.60 6.84 7.44
19	व्यापार देयताएँ (नोट के लिए अनुलग्नक देखें) (क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि (ग) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को बिना बिल की बकाया राशि	2.19 4,006.23 2,135.93 6,144.35	1.45 4,195.91 593.51 4,790.87
	अतिरिक्त जानकारी: कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम) के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:		
	विवरण:		
	1 बकाया मूलधन और अप्रदत्त बकाया	2.19	1.45
	2 उपर्युक्त (1) पर देय ब्याज और अप्रदत्त ब्याज	-	-
	3 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान	-	-
	4 वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद किए गए भुगतान	-	-
	5 उपर्युक्त (3) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज	-	-
	6 प्रोद्भूत और अप्रदत्त ब्याज	-	-
	एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत व्यय छूट की अस्तीकृति		
	7 के प्रयोजनार्थ लघु उद्यम को उस तिथि तक जब उपर्युक्त बकाया ब्याज का वास्तविक भुगतान किया गया है और आगामी वर्षों में भी आगे दिए जाने वाले बाकी एवं देय ब्याज	-	-

नोट 19 का अनुलग्नक
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट
31 मार्च 2024 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

(शेयर आँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एम.एस.एम.ई	2.19	-	-	-	2.19
(ii) अन्य	333.74	41.30	211.18	3,420.02	4,006.24
(iii) विवादित बकाया – एम.एस.एम.ई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

31 मार्च 2023 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एम.एस.एम.ई	1.45	-	-	-	1.45
(ii) अन्य	289.49	208.15	815.32	2,882.95	4,195.91
(iii) विवादित बकाया – एम.एस.एम.ई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

			31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	
20	अन्य वित्तीय देयताएँ - वर्तमान	(क) अन्य देयताओं के लिए लेनदार	88.17	100.77	
			884.15	1,030.64	
			972.32	1,131.41	
21	अन्य वर्तमान देनदारियाँ	(क) वैधानिक देयताएँ	223.76	192.44	
			2,721.64	2,280.65	
			534.49	780.03	
			3,479.89	3,253.12	
22	प्रावधान	(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	11.73	1.06	
			15.28	11.26	
			66.04	342.65	
			93.05	354.97	

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

नोट नं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
23	<p>परिचालन से राजस्व:</p> <p>(क) उत्पादों की बिक्री:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) नियर्ता (ii) घरेलू <p style="text-align: center;">कुल (क)</p> <p>(ख) सेवाओं की बिक्री:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) नियर्ता <ul style="list-style-type: none"> अधिगमशुल्क और स्वामित्व मिशन सहायता सेवाएँ (ii) घरेलू <ul style="list-style-type: none"> अंतरिक्ष खंड क्षमता - इन्सैट घटाएँ: अंतरिक्ष विभाग का राजस्व हिस्सा <p style="text-align: center;">अंतरिक्ष खंड क्षमता - विदेशी उपग्रह</p> <p>आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क प्राप्ति</p> <p>मिशन सहायता सेवाएँ</p> <p>परामर्श सेवाएँ प्राप्तियाँ</p> <p style="text-align: center;">कुल (ख)</p> <p style="text-align: center;">कुल (क) + (ख)</p>	46.10 2,559.12 2,605.22	8.72 245.13 253.85
		116.06 422.74 -	41.30 61.94 90.00 76.50
		-	13.50
		123.74 5,325.03 604.90 -	69.06 2,769.49 604.90 2.06
		6,592.47	3,562.25
		9,197.69	3,816.10
24	<p>अन्य आय:</p> <p>(क) ब्याज आय</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) बैंकों में जमा राशि पर (ii) ब्यापार प्राप्तियों पर (iii) आयकर वापसी पर (iv) कर्मचारियों को अग्रिम राशि देने पर <p>(ख) ग्राहकों से प्रोत्साहन</p> <p>(ग) पुनर्लिखित संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान</p> <p>(घ) पुनर्लिखित अनावश्यक देयता</p> <p>(ड) सरकारी अनुदान से आय</p> <p>(च) विक्रेताओं से परिनिधारित क्षति प्राप्ति</p> <p>(छ) किराये से आय</p> <p>(ज) विविध आय</p>	7,860.53 28.74 11.45 0.02 156.06 201.29 -	5,571.68 178.90 756.42 0.03 152.65 1,053.00 27.36 22.69 7.11 6.00 0.24
		8,287.02	7,776.82
25	<p>प्रचालन से राजस्व की लागत</p> <p>(क) उत्पादों की बिक्री की लागत</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) नियर्ता (ii) घरेलू (उक्तमण के बाद शुद्ध) <p style="text-align: center;">कुल (क)</p> <p>(ख) सेवाओं की बिक्री की लागत</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) नियर्ता <ul style="list-style-type: none"> प्रवेश शुल्क और स्वामित्व मिशन सहायता सेवाएँ (ii) घरेलू <ul style="list-style-type: none"> परामर्शिता सेवाएँ अंतरिक्ष खंड क्षमता - विदेशी उपग्रह आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क मिशन सहायता सेवाएँ <p style="text-align: center;">कुल (ख)</p> <p style="text-align: center;">कुल (क) + (ख)</p>	21.57 1,989.02 2,010.59	2.64 (413.78) (411.14)
		69.64 258.41 -	24.78 35.24 1.04
		1.62 4,890.25 526.50 5,746.42	17.62 2,559.04 526.50 3,164.22
		7,757.01	2,753.08

		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		0.21	15.72
26	माल की वस्तुसूची में परिवर्तन	0.21	0.21
	(i) प्रारंभिक भंडार		
	(ii) घटाएँ: अंतिम भंडार		
		0.00	15.51
27	कर्मचारी लाभ व्यय		
	वेतन और अधिलाभ	223.94	245.03
	अन्य निधियों में योगदान	46.89	51.76
	कर्मचारी कल्याण व्यय	2.99	4.11
		273.82	300.90
28	वित्त लागत		
	पट्टा देयता पर ब्याज	22.17	22.22
		22.17	22.22
29	अन्य व्यय		
	यात्रा व्यय	21.07	22.17
	मुद्रण व लेखनसामग्री	1.40	1.73
	संचार व्यय	13.62	18.04
	विधिगत शुल्क और व्यय	578.35	1,404.15
	परामर्शिता और व्यावसायिक शुल्क	41.82	27.48
	दर और कर	23.93	4.95
	किजापन और प्रचार	-	7.59
	सदस्यता और अंशदान	4.79	2.38
	जनशक्ति व्यय	54.53	59.19
	बीमा शुल्क	2.95	2.06
	विदेशी मुद्रा विनिमय और अंतरण पर शुद्ध हानि	19.28	33.74
	बैंक शुल्क	6.42	(0.18)
	बैंक प्रत्याभूति और एल.सी. शुल्क	0.08	(11.90)
	मरम्मत और अनुरक्षण - अन्य	22.63	19.79
	लेखा परीक्षकों को भुगतान:		
	सांविधिक लेखा परीक्षा हेतु	4.00	4.00
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित गतिविधियों पर व्यय (अनुलग्न के अनुसार विवरण)	118.21	324.79
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से हानि	0.44	-
	विविध व्यय	12.53	11.52
		926.05	1,931.50
30	आस्थगित कर		
	वर्ष के दौरान उद्भूत आस्थगित कर	58.29	270.09
		58.29	270.09

नोट 29 का अनुलग्नक

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ('सी.एस.आर') व्यय के

(शेयर अँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा अग्रेनीत अव्ययित राशि/(समायोजित की जाने वाली राशि)	(28.63)	(0.08)
कंपनी द्वारा वर्ष हेतु व्यय के लिए आबंटित राशि	130.40	293.25
जोड़ें: सीएसआर निधि पर अर्जित ब्याज	16.09	2.99
कंपनी द्वारा वर्ष हेतु व्यय के लिए कुल राशि	117.86	296.16
शैक्षिक एवं आजीविका संबंधी गतिविधियाँ	-	28.07
चिकित्सा उपकरण, सहायक उपकरण और पोषण	112.82	291.33
ऊर्जा, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का संरक्षण	5.39	5.39
कुल व्यय	118.21	324.79
कंपनी द्वारा अग्रेनीत व्यय हेतु/(समायोजित की जाने वाली राशि)	(0.35)	(28.63)
व्यय में शामिल प्रतिबद्ध देयता जिसे व्यय किया जाना बाक़ी है	66.04	342.65
भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार सी.एस.आर व्यय के संबंध में संबंधित पक्ष अंतरण के विवरण - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण	शून्य	शून्य

31 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति कर कटौती में समयांतर	3,914.29	3,964.95
	3,914.29	3,964.95
(ख) आस्थगित कर देयता कर कटौती में समयांतर	1,196.04	1,188.41
	1,196.04	1,188.41
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति	2,718.25	2,776.54

31 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) जारी
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

क) लाभ और हानि विवरण में मान्य राशि		
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर व्यय:	2,104.16	1,366.89
आस्थगित कर व्यय	-	270.09
शुद्ध कर व्यय	2,104.16	1,636.98

ख) अन्य व्यापक आय में मान्य राशि		
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ का पुनर्मापन	(2.11)	1.59
उपर्युक्त मद का कर प्रभाव	0.53	(0.40)
कुल	(1.58)	1.19

ग) प्रभावी आयकर दर का सामंजस्य

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	मात्रा	दर	मात्रा	दर
कर पूर्व लाभ	8,450.19	25.168%	6,491.20	25.168%
अपेक्षित आयकर व्यय	2,126.74		1,633.71	
अपेक्षित आयकर व्यय के साथ प्रतिवेदित आयकर व्यय के सामंजस्य के लिए		(0.12)		(80.89)
समायोजन पर कर प्रभाव पिछले वर्ष का कर व्यय स्थायी अंतर	142.37	35.83	334.42	84.16
समायोजन का प्रभाव (शुद्ध)	142.37	35.71	334.42	3.27
समायोजन पर कर का प्रभाव वर्ष के लिए कुल आयकर व्यय	35.71		3.27	
प्रभावी कर की दर	2,162.45	25.59%	1,636.98	25.22%

31 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) जारी
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

घ) आस्थगित कर शेष की प्रवृत्ति

विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2023 तक
कर कटौती में समयांतर ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	कर परिसंपत्ति 4,229.98	(265.03)	-	कर परिसंपत्ति 3,964.95
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ) अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण	4,229.98	(265.03)	-	3,964.95
कर कटौती में समयांतर विरोध के तहत प्रदत्त कर सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	कर देयता 1,154.78 28.55	- 5.08	-	कर देयता 1,154.78 33.63
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1,183.33	5.08	-	1,188.41
	3,046.65	(270.10)	-	2,776.54

ड) आस्थगित कर शेष की प्रवृत्ति

विवरण	1 अप्रैल, 2023 तक	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2024 तक
कर कटौती में समयांतर ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	कर परिसंपत्ति 3,964.95	(50.66)	-	कर परिसंपत्ति 3,914.29
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ) अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण	3,964.95	(50.66)	-	3,914.29
कर कटौती के समय में अंतर विरोध के तहत प्रदत्त कर सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	कर देयता 1,154.78 33.63	- 7.63	-	कर देयता 1,154.78 41.26
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1,188.41	7.63	-	1,196.04
	2,776.54	(58.29)	-	2,718.25

32 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर अँकड़ों एवं यथोलिताखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

i. एकिटी धारकों के कारण लाभ

	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
को समाप्त वर्ष के को समाप्त वर्ष के लिए	लिए	लिए
वर्ष के लिए करोपरांत लाभ	6,287.74	4,854.22
कंपनी के एकिटी धारकों की मूल आय के कारण लाभ	6,287.74	4,854.22
अन्य	-	-
मिले जुले प्रभाव को समायोजित करने हेतु कंपनी के एकिटी धारकों के कारण लाभ	6,287.74	4,854.22

ii. प्रश्नाएँ एवं उत्तरांक

	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
को समाप्त वर्ष के को समाप्त वर्ष के लिए	लिए	लिए
प्रश्नाएँ एवं उत्तरांक	6,80,000	6,80,000
मिले-जुले प्रभाव (यदि कोई हो)	-	-
6,80,000	6,80,000	
₹100 रुपये के नाममात्र मूल्य के प्रति शेयर मूल आय (₹.)	924.67	713.86
₹100 रुपये के नाममात्र मूल्य के प्रति शेयर मिली-जुली आय (₹.)	924.67	713.86

33 वित्तीय उपकरण - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन	
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट	
क. लेखाविधि वर्गीकरण और उचित मूल्य	
31 मार्च 2024 तक	

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	वाहित मूल्य						(शेष पर आँकड़ों एवं ध्यालिलिखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं) उचित मूल्य	
	एफवीटी पीएल	एफवीटी औसिआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	
उचित मूल्य पर नहीं मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिशुति जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वस्तुओं योग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
बिना बिल के राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-
बैंकों में जमा राशि पर ग्रोद्भूत ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-						
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य पर नहीं मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टा देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टा देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताओं के लिए लेनदर	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुबंध जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-						
	7,386.44	7,386.44						

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ							(शेयर ऑकड़ों एवं उल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रु. में है)											
उचित मूल्य पर नहीं मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ				वाहित मूल्य				उचित मूल्य				उचित मूल्य						
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत		कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर नहीं मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
कर्मचारियों को अधिनम राशि	-	-	-	-	-	0.44	0.44	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
प्रतिनिधि जमा	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशि	-	0.65	0.65	-	-	-	-	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	4,015.88	4,015.88	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	15,265.51	15,265.51	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-	-	-	85,304.24	85,304.24	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	-	-	-	13.38	13.38	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
अन्य वसूली योग्य	-	-	-	-	-	84.25	84.25	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
बिना विल के राजस्व	-	-	-	-	-	3,545.89	3,545.89	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
बैंकों में जमा राशि पर ग्रेड-भूत व्याज	-	-	-	-	-	1,08,230.26	1,08,230.26	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
उचित मूल्य पर नहीं मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
पहा देयताएँ	-	-	-	-	-	269.76	269.76	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	0.61	0.61	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
पहा देयताएँ	-	-	-	-	-	4,790.87	4,790.87	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
व्यापार देय	-	-	-	-	-	100.77	100.77	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
अन्य देयताओं के लिए लेनदार	-	-	-	-	-	1,030.64	1,030.64	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
अन्य - प्रतिनिधियाँ और अन्य अनुबंध जमा	-	-	-	-	-	6,192.65	6,192.65	-	-	उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	
उचित मूल्य पदानुक्रम	नोट 3.4 (vii) देखें - उचित मूल्यों का मापन				ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन				वित्तीय संलेख से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से कंपनी प्रभावित हो सकती है:				i. जोखिम प्रबंधन ढंग					
	कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय और ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मूल्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। कंपनी की मूल्ख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, बैंक जमा राशियाँ शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से उद्दृत होती हैं।				कंपनी की गतिविधियाँ उसे कई तरह के वित्तीय जोखिम, ऋण जोखिम, ऋण तरलता जोखिम। कंपनी का मूल्ख ध्यान वित्तीय बाजारों की अनिश्चितता के पूर्वानुमान और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने पर केंद्रित होता है। कंपनी के लिए मुख्य बाजार जोखिम युक्त विशेषता ही मुख्यतया कंपनी के ऋण जोखिम को प्रभावित करता है।													
	- तरलता जोखिम; और				- बाजार जोखिम				ii. जोखिम प्रबंधन ढंग				कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय और ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मूल्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। कंपनी की मूल्ख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, बैंक जमा राशियाँ शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से उद्दृत होती हैं।					
	- तरलता जोखिम; और				- बाजार जोखिम				- जोखिम प्रबंधन ढंग				कंपनी की गतिविधियाँ उसे कई तरह के वित्तीय जोखिम, ऋण जोखिम, ऋण तरलता जोखिम। कंपनी का मूल्ख ध्यान वित्तीय बाजारों की अनिश्चितता के पूर्वानुमान और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने पर केंद्रित होता है। कंपनी के लिए मुख्य बाजार जोखिम युक्त विशेषता ही मुख्यतया कंपनी के ऋण जोखिम को प्रभावित करता है।					

33 वित्तीय उपकरण – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर अँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि वित्तीय संलेख के लिए एक ग्राहक या प्रतिरूपक अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने से चूक जाता है, और मुख्यतः कंपनी को ग्राहकों से मिलने वाली प्राप्तियों एवं ऋण प्रतिभूति में निवेश से उत्पन्न होता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों की वाहित राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है:

क) व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, प्रबंधन उद्योग से मिलने वाले अनपेक्षित जोखिम एवं वह देश जहाँ ग्राहक काम करता है, सहित उन कारणों पर भी विचार करता है जो ग्राहक के आधार को प्रभावित कर सकता है।

उद्योगजगत के प्रचलनों और व्यापारिक आधार, जिस पर प्रतिष्ठान कार्य करता है, प्रबंधन यह विचार करता है कि व्यापार प्राप्तियाँ और ऋण अनपेक्षित (ऋण क्षतिग्रस्त) हैं, यदि भुगतान 365 दिनों से अधिक समय से बाकी है और जमा या बैंक प्रतिभूति के एकज में सुरक्षित नहीं हैं।

केन्द्र/राज्य सरकारों, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभागों और केन्द्र/राज्य स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ते की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अनपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी क्षति हानि के लिए एक भत्ता स्थापित करती है जो व्यापार प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षित हानि के अनुमान को दर्शाता है।

निम्नलिखित तालिका व्यापार प्राप्तियों और व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम और अपेक्षित ऋण हानि के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

31 मार्च 2024 तक

	भारित औसत हानि दर	क्या ऋण-क्षति हुई
छह महीने से कम	0.00%	नहीं
6 महीने - 1 वर्ष	23.32%	नहीं
1-2 वर्ष	20.89%	नहीं
2-3 वर्ष	84.51%	नहीं
3 वर्ष से अधिक	93.06%	नहीं
3 वर्ष से अधिक	100.00%	हाँ

31 मार्च 2023 तक

	भारित औसत हानि दर	क्या ऋण-क्षति हुई
छह महीने से कम	0.00%	नहीं
6 महीने - 1 वर्ष	98.40%	नहीं
1-2 वर्ष	12.31%	नहीं
2-3 वर्ष	5.64%	नहीं
3 वर्ष से अधिक	95.03%	नहीं
3 वर्ष से अधिक	100.00%	हाँ

वर्ष के दौरान व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों से संबंधित हानि क्षति भत्ते में गतिविधियाँ निम्नानुसार रहीं :

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1 अप्रैल तक शेष राशि	15,753.93	16,806.93
पहचान की गई हानि क्षति	-	-
पुनर्लिखित राशि	201.29	1,053.00
31 मार्च तक शेष राशि	15,552.64	15,753.93

ऋण जोखिम का भौगोलिक संकेन्द्रण

व्यापार प्राप्तियों (सकल और शुद्ध भत्ते), बिना बिल की प्राप्तियाँ और अनुबंध परिसंपत्तियों का भौगोलिक संकेंद्रण निम्नानुसार है:

देश	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	कुल %	जाल %	कुल %	जाल %
भारत	84.42	95.66	86.66	99.96
संयुक्त राज्य अमेरिका	0.79	4.34	0.26	0.00
नीदरलैंड	12.30	0.00	10.87	0.00
अन्य देश	2.49	0.00	2.21	0.04

व्यापार प्राप्तियों का देश-वार विवरण ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

ख) नक्कद और नक्कद समतुल्य

31 मार्च, 2024 को कंपनी के पास 18,364.36 लाख रुपये की नक्कद और नक्कद समतुल्य था। (31 मार्च, 2023: 15,265.51 लाख रुपये)। नक्कद और नक्कद समतुल्य बैंकों के पास जमा हैं।

33. वित्तीय साधन - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

iii. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जिसे नकद भुगतान या अन्य वित्तीय संपत्तियों से व्यवस्थित किया जात है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि, जहाँ तक संभव हो, सामान्य और कठिन परिस्थितियों में बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए, अपनी देयता, जब वे देय हों, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त तरलता हो।

कंपनी की तरलता के मुख्य स्रोत नकद और नकद समतुल्य हैं और वे नकद प्रवाह जिन्हें व्यापार से सृजित किया जाता है। कंपनी के पास बैंक से कोई उधार नहीं है। कंपनी को विश्वास है कि उसकी कार्यकारी पूँजेजीए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार, किसी तरलता जोखिम का कोई अंदेशा नहीं है।

तरलता जोखिम के लिए अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि तक वित्तीय देयताओं की बाकी बची संविदात्मक परिपक्तताएँ निम्नलिखित हैं। ये राशियाँ सकल और बिना छूट वाली हैं, और इनमें अनुमानित ब्याज के भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

संविदात्मक नकद प्रवाह

31 मार्च 2024 तक	वाहित राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयताएँ					
वर्तमान					
व्यापार देय	6,144.35	6,144.35	-	-	-
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ					
अन्य देयताओं के लिए लेनदार	88.17	88.17	-	-	-
अन्य - प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुबंध जमा	884.15	884.15	-	-	-
	7,116.67	7,116.67	-	-	-

संविदागत नकदी प्रवाह

31 मार्च 2023 तक	पेसा ले जाने	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयताएँ					
गैर वर्तमान					
अन्य व्यापार देय					
वर्तमान					
व्यापार देय	4,790.87	4,790.87	-	-	-
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ					
अन्य देयताओं के लिए लेनदार	100.77	100.77	-	-	-
अन्य - प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुबंध जमा	1,030.64	1,030.64	-	-	-
	5,922.28	5,922.28	-	-	-

33 वित्तीय उपकरण – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

iv. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार भाव के साथ बदलता है। जैसे कि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर, जो कंपनी की आय या वित्तीय संलेखों की धारिता के मान को प्रभावित करेंगे। बाजार जोखिम, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं देय तथा दोषावधि ऋण सहित सभी बाजार प्रभावी वित्तीय संलेखों के प्रति उत्तरदायी है। कंपनी, मूलतः ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाजार मूल्य से संबंधित बाजार जोखिम से प्रभावित है। अतएव, बाजार जोखिम का प्रभाव, निवेश एवं ऋण गतिविधि का ही परिणाम है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से बचाना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पादों और सेवाओं के आयात और निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम से प्रभावित है। कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपया (₹) है।

मुद्रा जोखिम से प्रभावित होने वाले कंपनी के परिमाणात्मक आँकड़े निम्नप्रकार हैं:

31 मार्च 2024 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि				राशि लाख ₹ में			
	वर्तमान परिसंपत्ति	गैर वर्तमान देयताएँ	वर्तमान देयताएँ	शुद्ध प्राप्तियाँ/ (देय)	वित्तीय पूँजी	गैर वर्तमान देयताएँ	वर्तमान देयताएँ	शुद्ध प्राप्तियाँ/ (देय)
यूरो (EUR)	28.42	-	1.65	26.77	2,590.48	-	150.40	2,440.09
अमेरिकी डॉलर (USD)	1.67	-	18.69	(17.02)	139.95	-	1,566.22	(1,426.28)

31 मार्च 2023 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि				राशि लाख ₹ में			
	वर्तमान संपत्ति	गैर वर्तमान देयताएँ	वर्तमान देयताएँ	शुद्ध प्राप्तियाँ/ (देय)	वित्तीय पूँजी	गैर वर्तमान देयताएँ	वर्तमान देयताएँ	शुद्ध प्राप्तियाँ/ (देय)
यूरो (EUR)	28.42	-	1.60	26.82	2,577.13	-	145.09	2,432.04
अमेरिकी डॉलर (USD)	0.64	-	20.04	(19.40)	52.84	-	1,654.70	(1,601.86)

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रूपए (₹), अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य सभी मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीय संलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और एकीटी तथा नीचे दी गई राशि द्वारा लाभ या हानि को प्रभावित किया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य सभी परिवर्तनांक, एक विशेष ब्याज दर में, स्थिर रहता है और क्रय एवं विक्रय की भविष्यवाणी से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है।

	(लाभ)/ हानि		एकीटी, कर के निवल	
	स्थिर	अस्थिर	स्थिर	अस्थिर
31 मार्च, 2024				
यूरो(1% परिचालन)	24.40	(24.40)	18.26	(18.26)
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(14.26)	14.26	(10.67)	10.67
31 मार्च, 2023				
यूरो (1% परिचालन)	24.32	(24.32)	-	18.20
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(16.02)	16.02	-	(11.99)

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दरें लागू की गई हैं।

वर्ष के अंत की दर

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
यूरो	91.15	90.68
अमेरिकी डॉलर	83.80	82.57

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

34. खंड सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को प्रत्येक वर्ग के परिमाण सहित माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे रखी है। उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मदेनज़र, भारतीय लेखा मानक 108 - प्रचालन खंड के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाएँ, वर्तमान और विगत वर्षों हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

35. संबंधित पक्ष - इंड एएस-24

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, कंपनी को सरकार के साथ या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के विस्तृत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेन-देन हैं, उनमें अंतरिक्ष विभाग ('अं.वि.'), रक्षा मंत्रालय, भारत संचार निगम लिमिटेड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। सरकार द्वारा संचालित सरकारी एजेंसियों/परियोजनाओं में सी.एस.आर. योगदान को भारतीय लेखा मानक 24 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं माना जाता है।

नियंत्रक संस्था
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		
संबंधित पक्ष का नाम	संबंध	संबंध
श्री संजय कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)
वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए अंतरण की सूची		
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
अल्पावधि कर्मचारी लाभ सहित वेतन	44.34	40.30
कार्य समापन लाभ	-	-
	44.34	40.30
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान राजस्व	1,590.00	1,618.03
वर्ष के दौरान राजस्व पर किए गए व्यय	851.75	70.54
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए अनुबंध प्रबंधन सेवाएँ एवं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व	-	13.50
व्यय की प्रतिपूर्ति	1.39	0.47
	2,443.14	1,702.54
अन्य सरकारी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएँ		
वर्ष के दौरान राजस्व की प्राप्ति	8,488.45	3,621.43
संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि की सूची		

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय (निवल)	1,189.53	1,328.47
अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों से प्राप्त (शुद्ध)	521.91	2,691.78

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर ऑँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

36. पूँजी प्रबंधन

एक मज़बूत पूँजी आधार सुरक्षित रखना कंपनी की नीति है ताकि निवेशक, लेनदार तथा और बाजार में विश्वास बना रहे और व्यवसाय का विकासोन्मुख भविष्य सुरक्षित रहे। प्रबंधन, पूँजी के साथ-साथ सामान्य शेयरधारकों को मिलने वाले लाभांश के स्तर पर निगरानी रखते हैं।

कंपनी, 'समायोजित शुद्ध ऋण' से 'समायोजित एकिटी' के अनुपात का उपयोग कर पूँजी की निगरानी रखती है। इसके लिए, कुल देयताओं से नक़द एवं नक़द समतुल्य को घटाकर समायोजित शुद्ध ऋण को सुनिश्चित किया जाता है। समायोजित एकिटी में सुरक्षा हेतु अतिरिक्त संचित राशि के अलावा एकिटी के सभी घटक शामिल होते हैं।

अनुपात को 2.00 से कम रखना कंपनी की नीति है। 31 मार्च तक कंपनी का समायोजित शुद्ध ऋण- और एकिटी का अनुपात इस प्रकार था:

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कुल देयताएँ	10,959.38	9,808.18
घटाएँ: नक़द और नक़द समतुल्य	18,364.36	15,265.51
समायोजित शुद्ध ऋण	(7,404.98)	(5,457.33)
कुल एकिटी	1,47,524.19	1,48,672.03
घटाएँ: सुरक्षा हेतु अतिरिक्त राशि	-	-
समायोजित एकिटी	1,47,524.19	1,48,672.03
समायोजित शुद्ध ऋण और समायोजित एकिटी का अनुपात	(0.05)	(0.04)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

37. कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

(नोट 3 में लेखांविधि नीति देखें)

i. उपदान

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिभाषित लाभ दायित्व	109.45	90.81
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(97.72)	(89.15)
कुल कर्मचारी लाभ परिसंपत्ति	11.73	1.66
लाभ तथा हानि विवरण में मान्य व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	9.50	9.40
शुद्ध ब्याज लागत / (आय) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर	0.12	(0.42)
कुल	9.62	8.98
अन्य व्यापक आय में मान्य आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमांकिक (लाभ) / हानि		
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन	(0.14)	-
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	3.61	(1.17)
- अनुभव भिन्नता (अर्थात् वास्तविक अनुभव बनाम मान्यताएँ)	(1.06)	(1.08)
शुद्ध ब्याज व्यय में मान्यराशि को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों से आय	(0.30)	0.66
कुल	2.11	(1.59)
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व का सामंजस्य		
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य		
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	90.81	80.88
प्रदत्त लाभ	-	(3.12)
वर्तमान सेवा लागत	9.50	9.40
ब्याज लागत	6.73	5.90
पिछली सेवा से लाभ		
अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ) हानि		
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन	(0.14)	-
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	3.61	(1.17)
- अनुभव समायोजन	(1.06)	(1.08)
वर्ष के अंत में शेष राशि	109.45	90.81
योजना परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य		
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	89.15	86.61
योजना हेतु प्रदत्त अंशदान	1.66	-
प्रदत्त लाभ	-	(3.12)
ब्याज से आय	6.61	6.32
अन्य व्यापक आय में मान्य योजना परिसंपत्तियों से आय	0.30	(0.66)
निधि शेष का समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	97.72	89.15
शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)	11.73	1.66

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर औँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

उपदान (जारी)
1. बीमांकिक मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर निम्नलिखित मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ थीं

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
छूट की दर	7.15%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
महंगाई भत्ते में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

2. जनसांख्यिकीय मान्यताएँ

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
मृत्यु दर (आइ.ए.एल' एम 2012-14 का %)	100%	100%
आयु के आधार पर निकासी दर (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31-40 वर्ष	2%	2%
40 वर्ष से ऊपर	1%	1%

भविष्य में मृत्यु दर के संबंध में मान्यताएँ प्रकाशित औँकड़ों और मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित हैं।

3. सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि तक अन्य मान्यता स्थिरांक धारित बीमांकिक मान्यताओं में एक संबंधित मान्यता के लिए तर्कसंगत संभावित परिवर्तन नीचे दिखाई गई राशि द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित किया होगा।

	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक
कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (1% परिचालन) ₹ लाख	124.10	97.16	104.61
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	13.40%	-11.20%	15.20%
भावी वेतन वृद्धि (1% परिचालन) ₹ लाख	94.89	126.56	77.11
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-13.30%	15.60%	-15.10%
दुर्घटना दर (50% परिचालन) ₹ लाख	109.63	109.27	91.00
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	0.20%	-0.20%	0.20%
मृत्यु दर (10% परिचालन) ₹ लाख	108.71	109.98	90.07
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-0.70%	0.50%	-0.80%

एल.आइ.सी.जी.एफ के साथ बीमा के द्वारा योग्य कर्मचारियों को उपदान दिया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणिक वार्षिक माँग लाभ तथा हानि विवरण एवं अन्य आय के खर्चे में लिखा जाता है। विवरण में शामिल किया जाता है।

ऊपर दर्शाई गई राशि में कंपनी के लिए काम करने वाले अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों के संबंध में अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को लागत की प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी कंपनी से संबंधित नहीं हैं।

ii. अवकाश मूल्यांकन
1. परिसंपत्ति और देयता (तुलनपत्र की स्थिति)

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
दायित्व का वर्तमान मूल्य	182.36	157.60
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	167.08	139.50
अधिशेष / (घाटा)	(15.28)	(18.10)
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
शुद्ध देयता	(15.28)	(18.10)

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष में दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान देयता (अत्यावधि)	15.28	11.26
गैर-वर्तमान देयता (दीर्घावधि)	-	6.84

अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य

भारत की एल.आइ.सी के साथ अवकाश नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ, समोह अवकाश नकदीकरण योजना द्वारा दिया जाता है।

बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि विवरण और अन्य व्यापक आय के खर्चे में लिखा जाता है।

ऊपर दर्शाई गई राशि में कंपनी के लिए काम करने वाले अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों के संबंध में अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को लागत की प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी कंपनी से संबंधित नहीं हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

38. भारतीय लेखा मानक 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

प्रावधानों में परिचालन				
	1 अप्रैल, 2022 तक	परिवर्धन	उपयोग की गई राशि	31 मार्च 2023 तक
उपदान				
वर्तमान	-	1.06	-	1.06
गैर वर्तमान	-	0.60	-	0.60
अवकाश नकदीकरण				
वर्तमान	11.40	11.26	11.40	11.26
गैर वर्तमान	0.00	6.84	-	6.84
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	704.05	524.65	886.05	342.65
कुल	715.45	544.41	897.45	362.41

प्रावधानों में परिचालन				
	1 अप्रैल, 2023 तक	परिवर्धन	उपयोग की गई राशि	31 मार्च 2024 तक
उपदान				
वर्तमान	1.06	11.73	1.06	11.73
गैर वर्तमान	0.60	-	0.60	-
अवकाश नकदीकरण				
वर्तमान	11.26	15.28	11.26	15.28
गैर वर्तमान	6.84	-	6.84	-
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	342.65	117.86	394.47	66.04
कुल	362.41	144.87	414.23	93.05

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

39. भारतीय लेखा मानक-38 के अंतर्गत प्रकटीकरण - अमूर्त संपत्ति :

(क)	अमूर्त परिसंपत्तियों की श्रेणी	संगणक सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रकृति	अलग से प्राप्त
(ग)	उपयोगी जीवन या परिशोधन दर	निश्चित उपयोगी जीवन
(घ)	प्रयुक्त परिशोधन पद्धति	अनुशाप्ति अवधि पर या इसके अभाव में 5 वर्ष के लिए परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर होता है।
(ङ)	सकल वाहित राशि	₹. 145.86 लाख (पिछले वर्ष ₹. 144.23 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	₹ 140.45 लाख (पिछले वर्ष ₹ 136.82 लाख)
(छ)	लाभ एवं हानि विवरण की वह व्यवसाय मद्दति जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई परिशोधन शामिल है	मूल्यहास और परिशोधन व्यय
(ज)	अवधि के आरंभ और अंत में संचित क्षति हानि	शून्य
अवधि के आरंभ और अंत में वाहित राशि का सामंजस्य		
(i)	आंतरिक विकास से प्राप्त, अलग से अर्जित तथा समामेलन के माध्यम से प्राप्त को अलग-अलग दर्शाते हुए योग	अलग से प्राप्त - ₹ 2.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.00 लाख)। आंतरिक रूप से या समामेलन के माध्यम से कोई सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया है।
(ii)	भारतीय लेखा मानक -105 और अन्य निपटानों के अनुसार बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत या बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल परिसंपत्तियाँ	शून्य (पिछला वर्ष - शून्य)
(iii)	भारतीय लेखा मानक -36 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त या प्रतिवर्तित हानि के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान वृद्धि या कमी	शून्य
(iv)	भारतीय लेखा मानक -36 के अनुसार अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्य क्षति हानि	शून्य
(v)	अवधि के दौरान मान्य कोई भी परिशोधन	₹. 4.60 लाख (पिछले वर्ष ₹. 12.04 लाख)
(vi)	वित्तीय विवरणों को प्रदेय मुद्रा में अंतरण और संस्था के विदेशी प्रचालन के प्रदेय मुद्रा में अंतरण के कारण उद्भूत होने वाले निवल विनिमय अंतर	शून्य
(vii)	अवधि के दौरान वाहित राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

40. 31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत पट्टा प्रकटीकरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

भारतीय लेखा मानक 116 का कार्यान्वयन - पट्टेदार के रूप में पट्टा

कंपनी के पास केवल एक पट्टा है। उदाहरणार्थ, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार भूमि का पट्टा। 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इस पट्टा अनुबंध पर भारतीय लेखा मानक 116- पट्टा लागू किया गया। 01 अप्रैल, 2019 तक पट्टा देयताओं पर लागू पट्टेदार की ऋणवृद्धि दर का भारित औसत @ 8.20% प्रति वर्ष था।

परिवर्तन के कारण नए मानक अपनाने से ₹272.41 लाख की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति तथा ₹272.41 लाख की पट्टा देयता मान्य की गई।

तुलन पत्र में उपयोगाधिकार परिसंपत्ति को 'गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों' के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है तथा पट्टा देयता को वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वित्तीय देयताओं' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

i) तुलन पत्र में मान्य राशि

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्तियाँ	245.16	250.61
ख) पट्टा देयताएँ		
वर्तमान	0.67	0.61
गैर-वर्तमान	269.10	269.76
कुल पट्टा देयताएँ	269.77	270.37
ग) उपयोगाधिकार वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि	-	-

ii) लाभ और हानि विवरण में मान्य राशियाँ

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति हेतु मूल्यहास शुल्क	5.45	5.45
ख) ब्याज व्यय	22.17	22.22
ग) अत्यावधि पट्टों से संबंधित व्यय	-	-

iii) नकद प्रवाह

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पटी के कारण कुल नकद बहिर्गमन	0.10	0.10

iv) भविष्य की प्रतिबद्धताएँ

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भविष्य के बिना छूट वाले पट्टे का भुगतान, जिसके लिए पट्टे का करार अभी शुरू नहीं हुआ है।	-	-

v) बिना छूट वाली पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (सरकारी अनुदान की ₹ 22.69 लाख की राशि सहित)

अवधि	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एक वर्ष से अधिक नहीं	22.79	22.79
एक वर्ष से अधिक नहीं तथा पाँच वर्ष से अधिक नहीं	91.14	91.14
पाँच वर्ष से अधिक समय बाद	907.65	930.43
कुल	1,021.58	1,044.36

प्रचालन पट्टा

31 मार्च को, अविलोप्य प्रचालन पट्टों के अंतर्गत किए जाने वाले भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं (सरकारी अनुदान की राशि ₹ 22.69 लाख को छोड़कर)।

अवधि	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एक वर्ष से कम समय में देय	0.10	0.10
एक से पाँच वर्ष के बीच देय	0.40	0.40
पाँच वर्ष से अधिक समय के बाद देय	4.00	4.10
	4.50	4.60

41 भारतीय लेखा मानक 20 के अंतर्गत सरकारी अनुदान प्रकटीकरण

कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, जो कंपनी का एकमात्र शेयरधारक भी है, से 60 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 10,000 प्रति वर्ष के नाममात्र किराए पर भूमि पट्टे पर प्राप्त की है।

मूल्यांकन के अनुसार, पट्टा किराए का उचित मूल्य ₹ 22.79 लाख प्रति वर्ष अनुमानित है। भारतीय लेखा मानक 20, "सरकारी अनुदान की लेखाविधि और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण" के अनुसार, उचित मूल्य और ₹ 22.69 लाख के नाममात्र किराए के अंतर को 'अन्य आय' के तौर पर स्वीकार किया गया है।

		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
42	आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धता: (जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है)		
	i) आकस्मिक देयता:		
	(क) कंपनी द्वारा निम्नलिखित कारणों से ऋण स्वीकार न किए जाने का दावा:		
	(i) कर्नाटक मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर, जिसमें मांगों की तिथि तक ब्याज और जुर्माना शामिल है। इन मांगों के विरुद्ध (वर्तमान और पिछले दोनों वर्षों के लिए लागू) 912.47 लाख रुपये का भुगतान प्रतिवाद स्वरूप किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशों के अनुसार 5,000 लाख रुपये की राशि जमा की गई।	1,44,440.44	1,44,440.44
	(ii) इन मांगों के विरुद्ध मांग की तिथि तक सेवा कर (ब्याज एवं जुर्माना सहित) के रूप में 4,588.31 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4,588.31 लाख रुपये) का भुगतान प्रतिवाद स्वरूप किया गया।	6046.19	6046.19
	(iii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में सी.आई.टी (अपील) के समक्ष अपील लंबित है।	211.48	211.48
	(iv) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में सी.आई.टी (अपील) के समक्ष अपील लंबित है।	38.98	38.98
	(v) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में सी.आई.टी (अपील) के समक्ष अपील लंबित है।	163.07	163.07
	कुल	1,50,900.16	1,50,900.16

	<p>(ख) प्रत्याभूति:</p> <p>(i) बैंक प्रत्याभूति</p> <p>(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है</p> <p>ii) प्रतिबद्धताएँ:</p> <p>(क) पूंजीगत लेखा पर निष्पादित किये जाने हेतु शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है;</p> <p>(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ</p>	शून्य	6.75
	<p>कंपनी का मानना है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देनदारियों के लिए संसाधनों का कोई बहिर्गमन नहीं होगा।</p>		
43	<p>क्रम में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य परिसंपत्तियों के बारे में बोर्ड की राय, कम से कम उस राशि के बराबर होगी जिस पर वे बताई गई हैं।</p>	<p>मंडल का यह मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्ति पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर वे लेखा बही में दर्शाई गई हैं।</p>	<p>मंडल का यह मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्ति पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर वे लेखा बही में दर्शाई गई हैं।</p>

44. विवादों का ब्यौरा :

क्रम सं.	विवाद की प्रकृति	वह फोरम/प्राधिकरण जहां मामला/विवाद लंबित है	तक विवाद में शामिल राशि (लाख रुपए में)
क.	01.04.2005 से 31.07.2008 तक की अवधि के लिए के.वी.ए.टी और सी.एस.टी मांग	भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56

विवाद की स्थिति:

सिविल अपील की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। माननीय न्यायालय ने 3 मई, 2010 के आदेश में आदेश दिया कि "कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण कार्यवाही जारी रख सकता है तथा अगले आदेश तक कोई वसूली नहीं की जाएगी।"

ख.	01.08.2008 से 31.03.2010 तक की अवधि के लिए के.वी.ए.टी और सीएसटी (वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी का पुनः मूल्यांकन किया गया है और इसलिए अलग से दिखाया गया है)। आदेश निम्नानुसार हैं: <ol style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी आदेश संख्या 221736837 / 05.01.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी आदेश संख्या 259709721 / 24.02.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी आदेश संख्या 251709773 / 24.02.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी आदेश संख्या 275709811 / 24.02.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.ए.टी आदेश संख्या 232709848 / 24.02.2016 के अनुसार 	माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय/माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय	1,23,844.88
----	--	---	-------------

विवाद की स्थिति:

कंपनी ने इन अवधियों के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

20 सितंबर, 2016 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कंपनी को अगस्त 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए मांगे गए कर का 50% 3 महीने की अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया। कर, ब्याज और जुमनि की शेष राशि को सॉल्वेंट ज़मानत प्रस्तुत करने के अधीन रोक दिया गया।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष कंपनी द्वारा एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर रिट अपील को दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एल.डी. डिवीजन बेंच के इस आदेश के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर की, जिसे सिविल अपील के रूप में स्वीकार कर लिया गया तथा मूल अपील संख्या 2349-2352/2010 के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थानांतरण याचिका भी दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 03 अप्रैल, 2017 को इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित संबंधित मामलों को उसके समक्ष सिविल अपील कार्यवाही के निपटारे के बाद ही लिया जाएगा और उच्च न्यायालय स्वाभाविक रूप से सिविल अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करेगा।

ग.	जुलाई 2012 से सितंबर 2015 की अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों को प्रदान की गई प्रक्षेपण सेवाओं पर सेवा कर की मांग	सी.ई.एस.टी.ए.टी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण)	5,900.84
----	--	--	----------

विवाद की स्थिति:

प्रतिवाद के तहत ब्याज और जुर्माना छोड़कर 4,588.31 लाख रुपये का सेवा कर चुकाया गया। अपील सी.ई.एस.टी.ए.टी, बेंगलूरु के समक्ष लंबित है। मामले की सुनवाई 24.04.2024 को हुई और खंडपीठ ने अभी तक आदेश नहीं सुनाया है।

45. कंपनी और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ('देवास') ने 28.01.2005 को "देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसरो/एन्ट्रिक्स एस-बैंड अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष खंड क्षमता के पट्टे के लिए समझौता" किया था, जिसे एन्ट्रिक्स ने 25.02.2011 को जारी समाप्ति पत्र के माध्यम से उचित आधारों का हवाला देते हुए समाप्त कर दिया था, जिसे देवास ने चुनौती दी थी, जिसके कारण विभिन्न न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही हुई। आई.सी.सी ट्रिब्यूनल ने कंपनी के खिलाफ 14.09.2015 को एक अधिनिर्णय दिया था, जिसमें देवास को पूर्व-अधिनिर्णय और अधिनिर्णय के बाद के ब्याज के साथ 562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया गया था।

i. भारतीय कानूनी कार्यवाही

कंपनी के खिलाफ 562.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आई.सी.सी आर्बिट्रल अधिनिर्णय को खारिज कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने क्रमशः 03 जुलाई, 2023 और 06 अक्टूबर, 2023 के अपने आदेशों के माध्यम से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की वैधता की पुष्टि की है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में निर्णय को खारिज करने का निर्णय अंतिम रूप से लागू हो गया है।

ii. विदेशी कानूनी कार्यवाही

देवास ने फ्रांस में मध्यस्थता अधिनिर्णय को निर्णय में परिवर्तित कर दिया था, तथा पेरिस के प्रथम दृष्टांत न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से 22 अक्टूबर, 2015 को एक एक्सीक्यूटर आदेश प्राप्त किया था। पेरिस अपील न्यायालय के समक्ष इस एक्सीक्यूटर आदेश के विरुद्ध एन्ट्रिक्स की अपील को अस्वीकार किए जाने पर, एन्ट्रिक्स ने फ्रांसीसी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है।

देवास को आई.सी.सी अवार्ड की पुष्टि के लिए आदेश भी मिला था और अमेरिका के सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के जिला न्यायालय से एक परिणामी निर्णय भी मिला था। सैन फ्रांसिस्को में नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 01 अगस्त, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से एन्ट्रिक्स की अपील को स्वीकार किया और फैसला सुनाया कि सिएटल में जिला न्यायालय ने एन्ट्रिक्स पर व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करके गलत किया था और आई.सी.सी अवार्ड की पुष्टि को उलट दिया। देवास और उसके शेयरधारकों ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उत्प्रेषण रिट दायर की है जो निर्णयाधीन है।

वर्जीनिया के पूर्वी जिले के जिला न्यायालय ने इंटेलसैट को डी.एम.ए.आई (देवास की अमेरिकी सहायक कंपनी) के पक्ष में 87,457.47 डॉलर जमा करने का आदेश दिया था, जो एन्ट्रिक्स का बकाया कर्ज था। नौवीं सर्किट अपील कोर्ट द्वारा सिएटल के जिला न्यायालय द्वारा आई.सी.सी अधिनिर्णय की पुष्टि को पलटने के बाद, एन्ट्रिक्स इंटेलसैट के कर्ज की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, जिसे डी.एम.ए.आई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया था।

हस्तक्षेपकर्ताओं ने 24 फरवरी, 2021 को लंदन (यूके) के वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायमूर्ति कींस खंडपीठ प्रभाग के उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, ताकि अधिनिर्णय प्रवर्तन में पक्षकार बनाए जा सकें। न्यायालय के आदेश के आधार पर, जॉइन्डर आवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेज ईमेल द्वारा एन्ट्रिक्स को भेजे गए। दस्तावेजों के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि न्यायालय ने 26 अक्टूबर, 2015 को आई.सी.सी अधिनिर्णय की पुष्टि करते हुए एकपक्षीय आदेश जारी किया था। हालाँकि, उक्त आदेश आज तक एन्ट्रिक्स को नहीं दिया गया है।

डी.एम.ए.आई ने नीदरलैंड के हेग स्थित जिला न्यायालय में आई.सी.सी के फैसले को लागू करने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे 18 जुलाई, 2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। डी.एम.ए.आई ने हेग स्थित अपील न्यायालय में अपील दायर की है, जो अभी निर्णयाधीन है।

कानूनी सलाहकारों/काउन्सेलों के परामर्श से आगे की कार्रवाई की जा रही है।

46. कंपनी ने 2017-18 में इनसैट/जीसैट अंतरिक्ष खंड से राजस्व की मान्यता पर आई.सी.ए.आई से राय मांगी थी। राय के अनुसार, कंपनी को अंतरिक्ष विभाग को दिए जाने वाले हिस्से के शुद्ध राजस्व का हिसाब देना आवश्यक है। कंपनी ने उक्त राय के अनुसार इनसैट/जीसैट अंतरिक्ष खंड से राजस्व का हिसाब रखा है। वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त इस खंड के कारण राजस्व शून्य (पिछले वर्ष- आई.एन.आर (13.50) लाख) [जारी किए गए क्रेडिट नोटों का शुद्ध] है।
47. कंपनी ने उक्त ग्राहक के उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के माध्यम से एक विदेशी ग्राहक को सेवाएँ प्रदान की हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, विदेशी ग्राहक सुविधा के उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से शुरू होने वाली सात वर्षों की अवधि में अपने उपग्रह में साझा स्थान (गैर-नकद प्रतिफल) प्रदान करके कंपनी को क्षतिपूर्ति करेगा। भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 48(घ) के अनुसार, भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 66 के साथ पठित, लेनदेन मूल्य 11,130 लाख रुपये (लागू जीएसटी सहित) निर्धारित किया गया है, जो ग्राहक द्वारा प्रदान किए जाने वाले गैर-नकद प्रतिफल के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह सुविधा नवंबर 2020 से उपयोग के लिए उपलब्ध हो गई है। बाद की अवधि से संबंधित गैर-नकद प्रतिफल को "सेवाओं के लिए अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, खंड II के तहत आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
48. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रमुख ग्राहकों से शेष राशि की पुष्टि का अनुरोध किया था, और बहुत कम ग्राहकों से ही प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं। अंतर वाले ग्राहक खातों का समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में, इस समाधान के कारण लाभ और हानि के विवरण में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

49. 31 मार्च, 2024 तक भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। प्रबंधन की राय में, इस तरह की गैर-पुष्टि का वर्ष के लाभ पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।
50. कर्नाटक सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2005 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए मांगे गए के.वी.ए.टी और सी.एस.टी से संबंधित 1,44,440.44 लाख रुपये की आकस्मिक देयता, जिसका खुलासा नोट 42(i)(a)(i) के तहत किया गया है, में मांग की तारीख से लेकर तुलन पत्र की तारीख तक का ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है।
51. प्रक्षेपण सेवा समझौतों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी "स्व-बीमा" नीति के माध्यम से ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कवरेज बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए उत्तरदायी है। यह नीति इसरो प्रक्षेपण यान का उपयोग करके समर्पित और साथ ही सह-यात्री ग्राहक उपग्रह प्रक्षेपण के संबंध में तीसरे पक्ष के उत्पादों को होने वाली क्षति और मृत्यु सहित शारीरिक चोट के लिए प्रक्षेपण चरण के दौरान कानूनी देयता को कवर करती है। इसरो प्रत्येक प्रक्षेपण के संबंध में स्व-बीमा की नीति का पालन करता है, इस प्रकार कंपनी द्वारा लिए जाने वाले तीसरे पक्ष की देयता (टी.पी.एल) बीमा की आवश्यकता को समाप्त करता है।
52. अन्य कर परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए आयकर रिफंड बकाया की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	आई.टी रिफंड देय बही के अनुसार (₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	1008.68	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2008-09	143.92	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2009-10	386.76	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2010-11	105.51	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2011-12	186.09	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत सुधार याचिका दायर करने में देरी के लिए माफी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।
2012-13	181.18	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2013-14	20.13	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2014-15	175.42	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2015-16	0.91	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2016-17	1,247.77	आयकर विभाग के पास अपील लंबित
2017-18	2,083.39	आयकर विभाग के पास अपील लंबित
2018-19	1,768.80	आई.टी.आर संसाधित हो गया है, तथापि, ऑर्डर की प्रति ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। प्रति प्राप्त नहीं हुई है।
2019-20	2391.19	आयकर विभाग के पास अपील लंबित
2020-21	3618.80	आयकर विभाग के पास अपील लंबित
2021-22	680.07	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया
2022-23	3.69	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दाखिल किया जाना है
2023-24	216.06	रिटर्न अभी दाखिल किया जाना है।
कुल	14,218.37	

उपर्युक्त आयकर रिफंड बकाया में टीडीएस प्रमाणपत्रों और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान सलाह/सूचना के आधार पर स्रोतों पर कटौती किया गया कर शामिल है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत सुधार आवेदन, जहाँ भी लागू हो, अंतर रिफंड दावों के लिए मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष दायर किया गया है।

53. कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के एक तल को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन- स्पेस) को किराए पर दे दिया है, जो अंतरिक्ष विभाग (अ.वि.) की एक स्वायत्त एजेंसी है और इसका मासिक किराया 50,000 रुपये है। किराये की आय को उपार्जन आधार पर दर्ज किया गया है।
54. कंपनी भारतीय लेखा मानक 10 की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित अनुवर्ती घटनाओं की रिपोर्ट करती है:
 - i. कंपनी द्वारा घोषित लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ पर आधारित है। 21 जून, 2024 को कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1,085.29 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यह प्रस्ताव वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है, और यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप लगभग 73,80 लाख रुपये का नकद बहिर्वाह होगा। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।
55. 31 मार्च, 2024/31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में अतिरिक्त नोट:
 - i. कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा बही में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) और उसे प्रकट न करने की कोई छूट भी नहीं है। पहले से अलिखित आय और संबंधित परिसंपत्तियों का ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे लेखा बही में दर्ज किया गया हो।
 - ii. कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

(शेपर आँकड़ों एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

क्रम सं.	अनुपात	अंश में प्रयुक्त विवरण/सूत्र	हर में प्रयुक्त विवरण/सूत्र	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	भित्रता	भित्रता के कारण
क	वर्तमान अनुपात (समय में)	कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ	कुल वर्तमान देयता	11.84	12.82	-8%	बिल न चुकाने वाले लेनदारों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं में वृद्धि हुई है जिस कारण वर्तमान वर्ष के वर्तमान अनुपात में मामूली कमी आई है।
ख	ऋण-एकिटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	कुल शेयरधारकों की एकिटी या शुद्ध मूल्य	-	-	0%	--
ग	ऋण सेवा संरक्षण अनुपात (समय में)	करोपरांत शुद्ध लाभ + मूल्यहास और परिशोधन व्यय + ब्याज व्यय	ब्याज व्यय + उधार का भुगतान	-	-	0%	--
घ	एकिटी अनुपात से प्राप्ति (%) में	करोपरांत लाभ	औसत शेयरधारक एकिटी या औसत शुद्ध मूल्य	4.25%	3.24%	31%	वर्तमान वर्ष में कंपनी के अन्य व्यय में उल्लेखनीय कमी होने तथा राजस्व एवं अन्य आय में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ हुआ।
ङ	माल व्यापार अनुपात	प्रचालन से राजस्व प्राप्ति	माल का औसत मूल्य	2.87	0.02	15971%	वर्तमान कारोबार में वृद्धि हुई है और बचे हुए माल वास्तव में माल हैं ही नहीं।
च	व्यापार प्राप्तियाँ कारोबार अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्ति	3.05	0.34	802%	वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा यह वृद्धि वर्तमान वर्ष के लिए औसत व्यापार प्राप्तियों में कमी के परिणामस्वरूप हुई है।
छ	व्यापार देयता कारोबार अनुपात (समय में)	उपभोग की गई सामग्री और प्रदान की गई सेवाओं की लागत + व्यापारिक माल की खरीद	औसत व्यापार देयताएँ	1.42	0.39	264%	वर्ष के दौरान सेवाओं की लागत में वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष के दौरान पुराने विक्रेता देनदारियों का निपटन किया गया, जिससे औसत देय राशि प्रभावित हुई।
ज	शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूँजी (अर्थात् कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ में कुल वर्तमान देयताएँ घटाकर)	0.08	0.03	134%	वर्ष के दौरान राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
झ	शुद्ध लाभ अनुपात (%) में	करोपरांत लाभ	प्रचालन से राजस्व	68.36%	127.20%	-46%	राजस्व लागत में वृद्धि के साथ-साथ बढ़े हुए राजस्व के चलते कमी आई है।
त	नियोजित पूँजी पर लाभ (%) में	करपूर्व लाभ और वित्तीय लागत	शुद्ध मूल्य + उधारी - आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	5.85%	4.46%	31%	वर्तमान वर्ष में कंपनी के अन्य व्यय में उल्लेखनीय कमी होने तथा राजस्व एवं अन्य आय में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ हुआ।
थ	निवेश से लाभ (%) में	निवेशित निधि जनित आय	औसत निवेश	-	-	0%	--

57. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार तुलनात्मक प्रकटीकरण प्रदान किया गया है।

कृते जॉन मोरिस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

प्रतिष्ठानपंचकरण संख्या: 007220S

कृते एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड निदेशक मंडल एवं की ओर से

हस्ता /-

हस्ता /-

हस्ता /-

हस्ता /-

ए.जी. कृष्णन

सदस्यता संख्या: 021183

यूडीआईएन :24021183BKEUGH1796

बैंगलूरु

21 जून, 2024

संजय कुमार अग्रवाल

आध्यक्ष-सह - प्रबंधक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

एवं निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 08200144

बैंगलूरु

21 जून, 2024

मोहन महादेवन

निदेशक

डीआईएन : 07267450

बैंगलूरु

21 जून, 2024

जी. आनंदनारायणन

कंपनी सचिव

आईसीएसआई सदस्यता संख्या 13691

बैंगलूरु

21 जून, 2024





एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्षभवन, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलुरु - 560 094

दूरभाष: +91 80 2217 8302/11 फैक्स: + 91 80 2217 8337

वेबसाइट: www.antrix.co.in